राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963

नियम	विषय	पृष्ठ सं.
	भाग 1	
	संक्षिप्त नाम तथा परिभाषाएं	
1	संक्षिप्त नाम	7
2	परिभाषाएं	7
	भाग 2	
	मण्डी समितियों का गठन और चुनाव	
3	मण्डी क्षेत्रों का वर्गीकरण	9
4	सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ	10
5	निर्वाचन क्षेत्र	11
5 A	स्थानों का आरक्षण	12
5 B	अध्यक्ष के पदों का आरक्षण	12
5 C	आरक्षित स्थानों का अवधारण	13
6	मत देने के लिए अर्हित व्यक्ति	13
6 A	मण्डी समिति में सहकारी विपणन सोसाइटियों के प्रतिनिधि का सरकार द्वारा नामनिर्देशन किया जाना	14
6 B	मण्डी समिति में केन्द्रीय सहकारी वित्त पोषण एजेन्सी के प्रतिनिधि का सरकार द्वारा नामनिर्देशन किया जाना	14
7	मत देने के लिए अर्हित व्यक्तियों के नामों की रिपोर्ट कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को किया जाना	14
8	मतदाताओं की सूची	15
9	निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव करने का आहान	16
10	चुनाव करने का नोटिस	16
11	मनोनयन	17
12	मनोनयन पर जमा राशी	17
13	मनोनयन का प्रमाणीकरण	18
14	मनोनयन सूची का प्रकाशन	18
15	मनोनयन की जांच	18

16	मनोनयनों को खारिज करने में आपत्तियों का निपटारा	18
17	उम्मीदवारी से नाम वापस लेना	19
18	चुनाव की प्रक्रिया	19
19	चिनहों का आवंटन	20
20	मतदान पत्र का प्रपत्र	20
21	चुनाव कराने की व्यवस्था आदि	20
22	वोट डालना	20
23	चुनाव की प्रक्रिया जब वोट बराबर-बराबर हों	20
24	मतदान से महले उम्मीदवार की मृत्यु	20
25	कलक्टर को प्रतिनिधियों के नामों की सूचना	20
26	मण्डी समिति में आकस्मिक रिक्त स्थानों को भरना	20
27	मण्डी समिति के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के नामों का प्रकाशन	20
27 A	चुनाव की वैधता तय करना	20
28	अयोग्य व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा	21
29	चुनाव के सम्बन्ध में या उनके प्रसंग में होने वाला व्यय	21
30	मतपत्रों को नष्ट करना	22
भाग 3		
मण्डी समितियां, उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य, उनका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, अधिकारीगण और विवाद उप- समितियाँ		
31	अधिकार और कर्त्तव्य	22-24
32	समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव	24
33	अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां	25
34	अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्यकाल तथा उनके पद की आकस्मिकता	26
35 A	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र (इस्तीफा)	26
35 B	अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव समिति की बैठकें	27
36	बैठक बुलाने और उनमें उपस्थित होने के हकदार व्यक्ति	28
37	कार्यवाही-पंजिका	28

38	बैठक की कार्यवाही की प्रति	28
39	बैठक की कार्यवाही की प्रति	28
40	मण्डी समिति कतिपय कार्यों के लिए प्रावधान करेगी	29
41	विवाद उप समिति की नियुक्ति	29
42	अन्य उप-समितियां	30
43	मण्डी समिति के कर्मचारी	31-34
44	मण्डी समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा भत्ता	34
44 A	मानदेय भत्ता	35
भाग 4		
मण्डी निधि-व्यय तथा हिसाब		
45	मण्डी समिति निधि	36
46	व्यय	36
47	खजाने या बैंक में रूपया भिजवाना	37
48	पास-बुक	37
49	बजट प्रेषित करना	37
50	निर्माण कार्य बजट में सम्मिलित किये जायेंगे	37
51	(X X X)	38
52	निर्माण कार्य बनाना	38
53	स्थाई निधियाँ	38
54	वार्षिक रिपोर्ट	38
55	हिसाब, परीक्षण (Audit) तथा निरीक्षण	38
भाग 4 ए		
राज्य कृषि विपणन बोर्ड		
55 A	धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों का चुनाव	39
55 B	चुनाव की वैधता निश्चित करना	40
55 C	बोर्ड के बजट और बचत राशियों को लगाना तथा हिसाब रखना	40
55 D	सैक्रेटरी के अधिकार तथा कार्य	41
भाग 5		
मण्डी यार्ड तथा खास मण्डी		
56	मण्डी यार्ड तथा खास मण्डी की घोषणा	41

56 A	प्राइवेट उपमण्डी यार्ड या प्राइवेट उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना	41
56 B	प्राइवेट उप ई-मण्डी	42-47
57	मण्डी यार्ड का नियन्त्रण तथा संरक्षण	47
57 A	संविदा खेती	48-50
भाग 6		
कर एवं फीसों को लागू करना और वसूली		
58	मण्डी शुल्क	50
59	उपकर एवं शुल्क की सवूली	51
60	रसीद	52
61	फीस की वसूली	52
62	जमानत	52
भाग 6 क		
एकाधिक मण्डी क्षेत्र के लिए विशेष अनुज्ञप्ति		
63	विशेष अनुज्ञप्ति की मंजूरी	52
63 A	अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन	53
63 B	अनुज्ञप्ति शुल्क	53
63 C	प्रतिभूति निक्षेप	53
63 D	विशेष अनुज्ञप्ति की मंजूरी की प्रक्रिया	54
63 E	अनुज्ञप्ति की अवधि	55
63 F	प्रतिभूति का व्ययन	56
63 G	विशेष अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन	56
63 H	विशेष अनुज्ञप्ति का नवीकरण	56
63 I	विशेष अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण	56
63 J	अपील	57
63 K	क्रय दस्तावेज और विक्रय-वाउचर	57
63 L	परिवादों का निपटारा	58
63 M	मण्डी शुल्क का संदाय	58
63 N	प्रेषण, विक्रय और प्रसंस्करण	58
63 O	विशेष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करना	58
63 P	नियमों के अन्य उपबंधों का लागू होना	58

भाग 7		
मण्डी में बिक्री तथा व्यापार		
64	कृषि उपज की बिक्री	59
65	विक्रय के हिसाब रखने	59
66	नीलाम पंजिका रखना और क्रेता तथा विक्रेता के बीच संविदा (Agreement) का निष्पादन	59
67	मूल्यों का प्रकाशन	60
68	समिति के आदेशों का उल्लंघन करने पर दण्ड	60
69	अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी ''क'' वर्ग के दलाल, व्यापारी के वर्ग के दलाल, संयुक्त, ''ख'' वर्ग के दलाल और फुटकर विक्रेता	60-62
70	व्यापारियों ''क'' वर्ग के दलालों, व्यापारी ''क'' वर्ग के दलाल (संयुक्त), ''ख'' वर्ग के दलालों और फुटकर विक्रेताओं को मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की मण्डी समिति की शक्ति	62
71	किसी लाइसेन्स को खारिज करने या स्थगित करने से पहले की प्रक्रिया	62
72	अनुज्ञप्त तोलने वाले, हमाल, मापने वाले, सर्वेक्षक, भांडागारकर्मी [रासायनिक संघटक विश्लेषक] और ऐसे अन्य ऑपरेटर जो निदेशक द्वारा अवधारित किये जाये	63
73	लाइसेन्स के लिए इन्कार या लाइसेन्स निरस्त या स्थगित करने की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को देना	64
74	लोपित [X X X]	65
75	मण्डी खर्चों (charges) का भुगतान	65
76	व्यापारियों, दलालों, तोलने वालों, मापने वालों, सर्वेक्षकों आदि द्वारा हिसाब रखना	65
77	तोलने वाले, मापने वाले और सर्वेक्षक के लिये संयंत्र (Equipment)	65
78	78 - A [X X X] (लोपित)	65
79	लाइसैन्सधारी तोलने वाला या मापने वाला बिल्ला धारण करेगा	66
80	बिना लाइसैन्स या बिल्ले के व्यापार करने पर शक्तियाँ	66
81	दलाल आदि अपनी सेवाओं के लिए निर्धारित फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेंगे	66
82	व्यापारी या उसका कर्मचारी दलाली या तोलने, मापने या सर्वे	66

	करने का कोई चार्ज या शुल्क नहीं मांगेगा	
83	तुलाई या मापने का कार्य लाइसैन्सधारी तोलने वाला या मापने वाला करेगा	66
84	(लोपित) [XXX]	66
85	लाइसैन्सधारी व्यापारी 'ए' श्रेणी दलाल तोलने तथा मापने के संयंत्र देगा	66
86	मण्डी में उपयोग किये जाने वाले तोल व माप	66
87	मण्डी समिति में उपयोगिता प्रचलित भाव की इकाई (Unit of Price Quotation)	66
88	कांटे, बाट या मापों का निरीक्षण	66
89	मण्डी समिति प्रामाणिक बाट तथा माप और तोलने तथा मापने के संयंत्रों का एक सेट रखेगी	66
90	तुलाई में प्रति सनतुलन करना	67
91	लदी हुई गाडी तोलने के संयंत्र (Weighment bridge) पर तुलाई	67
92	तोलने व मापने का तरीका एवं स्थान	67
93	बांटों और मापों का तथा तोलने और मापने के संयंत्रों का निरीक्षण	68
94	अनाधिकृत बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के संयंत्रों के विषय में रिपोर्ट	68
95	बाट या माप तोलने अथवा मापने के संयंत्रों की जांच के लिए प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा का उल्लंघन करने पर शास्ति	68
96	कृषि उपज का भण्डारीकरण	68
97	कृषकों को अग्रिम धन देने का नियमन	68
98	कृषि उपज में मिलावट पर रोकथाम	69
99	कृषि उपज को श्रेणीबद्ध करना तथा प्रामाणिक स्तर का बनाना	69
100	मूल्य सूची रखना	69
101	मण्डी समिति की बैठक बुलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी	70
101 A	मण्डी समितियों का निरीक्षण करने का अधिकार	71
102	जब ये नियम प्रथम बार लागू हों उस समय के लिये विशेष प्रावधान	72
103	राज्य सरकार, निदेशक अथवा बोर्ड को शक्तियां समर्पित करने का अधिकार	72
	प्रपत्र - 1 से 11	73-81

राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963

भाग - 1

संक्षिप्त नाम तथा परिभाषायें

1. **संक्षिप्त नाम** - ये नियम राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 कहलायेंगे और ये तुरन्त लागू होगा।

2. **परिभाषायें** - जब तक विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों से -

(1) **"अधिनियम"** से तात्पर्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 से हैं,

(2) **"ए श्रेणी दलाल"** से तात्पर्य कमीशन एजेन्ट से है जो अधिनियम की धारा 2 (1) अनुच्छेद (iii) में परिभाषित दलाल में सम्मिलित है,

(2-क) **"विशिष्ट विवरणों की कृषि उपज"** से ऐसी अधिसूचित कृषि उपज अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 5-ग तथा धारा 14 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(2-ख) **"रासायनिक संयोजन"** से वे विभिन्न घटक अभिप्रेत हैं, जिनसे कोई अधिसूचित कृषि उपज बनाई जाती हो;

(3) **"बी श्रेणी दलाल"** से तात्पर्य ऐसे दलाल से है जो कमीशन एजेन्ट नहीं हो,

(4) **"कलक्टर"** से तात्पर्य उस जिले के कलक्टर से है जिसकी सीमाओं के भीतर मुख्य मण्डी यार्ड पडता हो,

(5) **"सरकार"** से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है,

(6) **"प्रपत्र"** (Form) से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रपत्र से है,

(7) **"मण्डी समिति का शासकीय (Official) वर्ष"** से तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो हर साल अप्रेल के प्रथम दिन से आरम्भ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है,

(8) **"कमीशन एजेन्ट"** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अन्य व्यक्ति की ओर से, कमीशन के प्रतिफल पर किसी उपज की खरीद या बिक्री करता हो, या खरीदने या बेचने की प्रस्तावना (Offer) करता हो या ऐसी खरीद या

बिक्री को पूर्ण करने या क्रियान्वित करने हेतु कोई आवश्यक कार्य करता हो या करने की प्रस्तावना करता हो,

(9) **"विक्रेता (Seller)"** में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत एजेन्ट की हैसियत से कृषि उपज बेचता हो या बेचने की प्रस्तावना करता हो,

(10) **"सेक्रेटरी (सचिव)"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी नियुक्ति तत्समय सेक्रेटरी के रूप में हुई हो या किसी अधिकारी या कर्मचारी से है जिसकी नियुक्ति तत्समय सेक्रेटरी के कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु की गई हो,

(11) **"धारा"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(12) **"संस्था"** से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, उस ग्राम पंचायत के सिवाय, जिसकी अधिकारिता में प्रधान मण्डी यार्ड अवस्थित है, मण्डी क्षेत्र का ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ और जिला परिषदें।

स्पष्टीकरण :-

(1) ग्राम पंचायत का अर्थ है और उसमें सम्मिलित है सरपंच और पंचगण जिनमें पंचायत का गठन हुआ है।

(2) ग्रामदानी ग्राम की कार्यपालिका समिति से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष और उसके सदस्य।

(3) ग्रामदानी गांव, जिसके क्षेत्र में मुख्य बाजार यार्ड या उप-बाजार यार्ड स्थित है कि पंचायत या ग्राम सभा को कृषकों के चुनाव क्षेत्र में नहीं शामिल किया जायेगा, परन्तु स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र मे शामिल किया जायेगा।

(13) **"प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड"** से, किसी मण्डी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किसी प्राइवेट उप-ई-मण्डी सहित, अधिनियम की धारा 40 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समस्त या किसी भी कृषि उपज के लिए अधिनियम के अधीन स्थापित कोई प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड अभिप्रेत है।

(14) **"क्षेत्रीय उप निदेशक या क्षेत्रीय सहायक निदेशक"** से क्षेत्रीय उप निदेशक या, यथास्थिति, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कृषि उपज मण्डी विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(15) **"प्रारम्भिक लेनदेन"** से किसी भी कृषक या व्यापारी द्वारा विक्रय, भण्डारण या प्रसंस्करण के लिए पहली बार मण्डी में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार अभिप्रेत है, जिस पर किसी भी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क संदत्त नहीं किया गया है। कृषि उपज के उत्पादक और व्यापारी के बीच पहली बार किया गया लेनदेन प्रारम्भिक लेनदेन समझा जायेगा और ऐसी कृषि उपज पर मण्डी शुल्क का संदाय क्रेता व्यापारी या उत्पादक द्वारा किया जायेगा;

(16) **"पश्चात्वर्ती लेनदेन"** से प्रारम्भिक लेनदेन के पश्चात् किया गया कोई भी लेनदेन अभिप्रेत है;

(17) **"विशेष अनुज्ञप्ति"** से, एकाधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के कारोबार के लिए धारा 14-क की उपधारा (1) के अधीन निदेशक द्वारा जारी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(18) **"विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र"** से अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(19) **"विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र"** से विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में विशेष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित क्रय केन्द्र अभिप्रेत है; और

(20) **"केन्द्रप्रभारी"** से मण्डी समिति का सचिव या विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज केन्द्र से समुचित विनियमन और नियंत्रण के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत मण्डी समिति का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अभिप्रेत है।

भाग - 2

मण्डी समितियों का गठन और चुनाव

3. **मण्डी क्षेत्रों का वर्गीकरण -** (1) ''उत्कृष्ट'' वर्ग, ''क'' वर्ग, ''ख'' वर्ग, ''ग'' वर्ग, और ''घ'' वर्ग में मण्डी क्षेत्र का वर्गीकरण मण्डी फीस से वार्षिक आय के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाएगा -

क्र.सं.	वर्ग	नवीन मापदण्ड मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय
1.	विशिष्ट श्रेणी	350 लाख रू. या अधिक वार्षिक आय
2.	''अ'' वर्ग	200 लाख रू. या अधिक एवं 350 लाख रू. से कम वार्षिक आय
3.	''ब'' वर्ग	125 लाख रू. या अधिक एवं 200 लाख रू. से कम वार्षिक आय

4.	''स'' वर्ग	50 लाख रू. या अधिक एवं 125 लाख रू. से कम वार्षिक आय
5.	''द'' वर्ग	50 लाख रू. से कम वार्षिक आय

(2) प्रत्येक मण्डी समिति में उतने सदस्य होंगे जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन निर्दिष्ट किये गये है। समस्त सदस्य इन नियमों में उपबन्धित रीति से निर्वाचित या नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(3) मण्डी समिति के कृषक सदस्य मण्डी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

4. **सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ -** मण्डी समिति के सदस्य के रूप में चुनाव किए जाने के लिए वह व्यक्ति अयोग्य होगा -

(1) यदि उसका नाम विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे किन्हीं भी खण्डों/भागों की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, जो मण्डी क्षेत्र में आते हैं।

(2) यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो,

(3) यदि किसी सक्षम न्यायालय ने उसे विक्षिप्त मस्तिष्क (Unsound Mind) का होना करार दिया हो,

(4) यदि वह बिना मुक्त किया हुआ दिवालिया हो,

(5) यदि किसी न्यायालय द्वारा उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी करार दिया जाकर कैद की सजा दी गई हो जो 6 महीने से अधिक के कारावास की सजा से दण्डनीय हो, जब तक कि सरकार ने आदेश जारी करके उसकी अयोग्यता हटा नहीं दी हो,

(6) यदि मण्डी समिति की देय कोई फीस या लाग (Fees or Cess) अदा करने में वह विफल रहा हो,

(7) यदि वह मण्डी समिति का कोई सेवक है या ऐसी समिति से फुटकर विक्रेता के रूप में कोई अनुज्ञप्ति धारण करता है;

(8) यदि मण्डी समिति के अधीन या उसकी ओर से प्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा या नियोजन के हित में कोई अंश रखता हो,

(9) कृषक निर्वाचन-क्षेत्रों से, यदि उसके पास अपने स्वयं के नाम से मण्डी समिति के क्षेत्र में आने वाले किसी भी राजस्व गाँव के राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) में सम्मिलित, कृषि भूमि नहीं हैं।

परन्तु शर्त यह है कि -

(i) किसी व्यक्ति को, व्यापारियों या दलालों के निर्वाचन-क्षेत्र या, यथास्थिति, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भण्डागारपालों और अन्य व्यक्तियों के निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा यदि वह, नियम 69 या नियम 72 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करता है या यदि वह ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाली किसी फर्म का भागीदार या कर्मचारी है;

(ii) किसी व्यक्ति को व्यापारियों और दलालों के निर्वाचन-क्षेत्र या यथास्थिति, तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भण्डागारपालों और अन्य व्यक्तियों के निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नहीं चुना जायेगा यदि वह मण्डी क्षेत्र में निवास नहीं करता है और जो निर्वाचन के वर्ष की पहली जनवरी को अनुज्ञप्तिधारक नहीं है, या जिसे किसी न्यायालय द्वारा फीस का संदाय नहीं करने के लिए या उसके निबन्धनों और शर्तों का भंग करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है;

स्पष्टीकरण - एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति रखने वाली कोई फर्म या कोई कम्पनी या कोई निगम एक से अधिक मण्डी समिति का सदस्य होने के लिए अर्हित नहीं होगा।

5. **निर्वाचन क्षेत्र -** (1) किसी मण्डी समिति के सदस्यों को निर्वाचित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित निर्वाचन-क्षेत्र होंगे, अर्थात् -

(क) ''उत्कृष्ट'' और ''क'' वर्ग की मण्डी समितियों के लिए:-

(i) कृषक निर्वाचन-क्षेत्र;

(ii) व्यापारियों और दलालों का निर्वाचन-क्षेत्र;

(iii) तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों और भण्डागारपालों और अन्य व्यक्तियों का निर्वाचन-क्षेत्र;

(iv) स्थानीय प्राधिकारियों का निर्वाचन-क्षेत्र;

(ख) ''ख'', ''ग'' और ''घ'' वर्ग की मण्डी समितियों के लिए -

(i) कृषक निर्वाचन-क्षेत्र;

(ii) व्यापारियों और दलालों का निर्वाचन-क्षेत्र;

(iii) स्थानीय प्राधिकारियों का निर्वाचन-क्षेत्र;

स्पष्टीकरण - अभिव्यक्ति ''स्थानीय प्राधिकारियों का निर्वाचन-क्षेत्र'' से वह नगरपालिका बोर्ड या नगर परिषद् या नगर निगम या, यथास्थिति, ग्राम पंचायत अभिप्रेत है जिसमें प्रधान मण्डी यार्ड अवस्थित है।

(2) सम्बन्धित जिले का कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, मण्डी क्षेत्र को इतने निर्वाचन-क्षेत्र में विभाजित करेगा जो धारा 7 की उप-धारा (1) के, खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या, खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अधीन कृषकों द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हों और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित किया जायेगा।

(3) कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन व्यापारियों और दलालों (''क'' वर्ग और ''ख'' वर्ग) द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों के लिए भी मण्डी क्षेत्र को दो निर्वाचन-क्षेत्रों मे विभाजित करेगा और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - प्रधान यार्ड के व्यापारी और दलाल (''क'' वर्ग और ''ख'' वर्ग) का एक निर्वाचन-क्षेत्र बनेगा और मण्डी क्षेत्र, जिसमें प्रधान यार्ड सम्मिलित नहीं है और मुख्य मण्डी और मण्डी क्षेत्र के समस्त उप-यार्ड सम्मिलित हैं, में के व्यापारी और दलाल (''क'' वर्ग और ''ख'' वर्ग) का दूसरा निर्वाचन-क्षेत्र बनेगा।

(4) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक पृथक क्रम संख्यांक समनुदिष्ट किया जायेगा।

(5) कोई भी मतदाता, कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन के सम्बन्ध में पारित आदेश के दस दिन के भीतर, कोई लिखित आक्षेप, कारण देते हुए कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के भीतर मामले को अन्तिम रूप से विनिश्चित करेगा।

5 **क. स्थानों का आरक्षण -** (1) कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 7-क के उपबन्धों के अनुसार लाटरी निकाल कर सीटें (पद) आरक्षित करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन आरक्षित स्थान, उत्तरवर्ती निर्वाचनों में ऐसे आरक्षण के लिए लाट निकालते समय चक्रानुक्रम पूरा होने तक अपवर्जित किये जायेंगे।

5 **ख. अध्यक्ष के पदों का आरक्षण -** (1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 7 ख के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्ष के पदों का अवधारण लाट निकालकर करेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन आरक्षित अध्यक्ष के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों की महिलाओं के लिए लाट निकालकर आरक्षित किये जायेंगे।

(3) राज्य में मण्डी समितियों के अध्यक्ष के कुल पदों में से (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित) 50 प्रतिशत पद सरकार द्वारा लाट निकालकर महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(4) उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन आरक्षित पद उत्तरवर्ती निर्वाचनों में ऐसे आरक्षण के लिए लाट निकालते समय चक्रानुक्रम पूरा होने तक अपवर्जित किये जावेंगे।

5 **ग. आरक्षित स्थानों का अवधारण -** नियम 5 ख के अधीन अध्यक्ष के पदों के स्थान सरकार द्वारा नियम 5 क के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों और महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण करने के पूर्व आरक्षित किये जायेंगे।

6. **मत देने के लिए अर्हित व्यक्ति -** प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के सदस्यों को निर्वाचित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्ति मत देने के लिए अर्हित होंगे:-

(i) कृषक निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए - मण्डी क्षेत्र की संस्थाओं के समस्त सदस्य किसी कृषक निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने के लिए अर्हित होंगे -

परन्तु ऐसे सदस्यों का सम्पूर्ण वार्ड या उसका अधिकांश भाग सम्बन्धि मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में आना चाहिए।

स्पष्टीकरण - ग्राम पंचायत के सदस्य के अन्तर्गत सरपंच भी होगा।

(iii) व्यापारियों और दलालों के निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए - नियम 69 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 14 के अधीन, निर्वाचन के वर्ष की पहली जनवरी को व्यापारी, दलाल (''क'' वर्ग या ''ख'' वर्ग) की विधिमान्य अनुज्ञप्ति या कोई संयुक्त अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति व्यापारियों और दलालों के निर्वाचन-क्षेत्रों में मत देने के लिए अर्हित होगा।

स्पष्टीकरण -

(i) ''व्यक्ति'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है फर्म, कम्पनियाँ या निगम,

(ii) फुटकर विक्रेता व्यापारियों और दलालों के निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने के लिए अर्हित नहीं होगा।

(iii) तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भण्डागारपालों और अन्य व्यक्तियों के निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए - किसी मण्डी समिति द्वारा मण्डी क्षेत्र में नियम 72 के अधीन, निर्वाचन वर्ष की पहली जनवरी को या उसके पूर्व अनुज्ञप्त तुलाईकारों, मापक, सर्वेक्षक, भण्डागारपाल और अन्य व्यक्ति इस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने के लिए अर्हित होंगे।

(iv) स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए - ऐसे नगरपालिक बोर्ड या नगर परिषद् या नगर निगम के समस्त सदस्य या, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत के पंच (सरपंच सहित), जिसमें मुख्यमण्डी यार्ड अवस्थित है, धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (viii), या खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) के अधीन यथा-अपेक्षित अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे।

6 **क. मण्डी समिति में सहकारी विपणन सोसाइटियों के प्रतिनिधि का सरकार द्वारा नामनिर्देशन किया जाना -** मण्डी समिति में केन्द्रीय सहकारी वित्त पोषण एजेन्सी का प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सहकारी वित्त पोषण एजेन्सी से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हैं उस जिले में, जिसमें मण्डी समिति अवस्थित है, राज्य सरकार के सहकारी विभाग के अधीन कार्य करने वाला केन्द्रीय सहारी बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और अर्बन सहकारी बैंक।

6 **ख. मण्डी समिति में केन्द्रीय सहकारी वित्त पोषण एजेन्सी के प्रतिनिधि का सरकार द्वारा नामनिर्देशन किया जाना -** मण्डी समिति में केन्द्रीय सहकारी वित्त पोषण एजेन्सी का प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सहकारी वित्त पोषण एजेन्सी से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हैं उस जिले में, जिसमें मण्डी समिति अवस्थित है, राज्य सरकार के सहकारी विभाग के अधीन कार्य करने वाला केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और अरबन सहकारी बैंक।

7. **मत देने के लिए अर्हित व्यक्तियों के नामों की रिपोर्ट कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को किया जाना -** (1) प्रत्येक संस्था मत देने के लिए अर्हित अपने सदस्यों के नामों की रिपोर्ट कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत को, कलक्टर द्वारा नियत तारीख को या उसके पूर्व करेगी।

(2) इन नियमों के अधीन व्यापारियों और दलालों के किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने के लिए अर्हित प्रत्येक फर्म, कम्पनी या निगम उसकी ओर से मत देने के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम, नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन यथाअपेक्षित विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखने के सबूत के साथ मण्डी समिति को, कलक्टर द्वारा इस निमित्त नियत तारीख के अपश्चात् लिखित में सूचित करेगी -

परन्तु

(i) किसी स्वत्वधारी फर्म का स्वत्वधारी स्वयं मत देने के लिए अर्हित होगा।

(ii) किसी भागीदारी फर्म, कम्पनी या निगम की दशा में फर्म, कम्पनी या निगम अपने एक भागीदार को मत देने के लिए नामनिर्देशित करेगा।

(3) किसी तुलाईकार, मापक, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल और अन्य व्यक्ति (व्यापारियों और दलालों के निर्वाचन क्षेत्र में मत देने के लिए अर्हित व्यक्तियों को छोडकर) के रूप में मत देने के लिए अर्हित प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम की रिपोर्ट, नियम 6 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखने के सबूत के साथ, कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, कलक्टर द्वारा नियत तारीख को या उसके पूर्व करेगा।

8. मतदाताओं की सूची - (i) कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''ऐसा अधिकारी'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), नियम 5 के उपनियम (1)(क) और (1)(ख) में निर्दिष्ट कृषक निर्वाचन-क्षेत्रों, व्यापारियों और दलालों के निर्वाचन-क्षेत्रों और तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भाण्डागारपालों और अन्य व्यक्तियों के निर्वाचन-क्षेत्रों में मत देने के लिए अर्हित मतदाताओं की पृथक-पृथक सूचियाँ तैयार करवायेगा। ऐसी प्रत्येक सूची उस तारीख से, जिसको मण्डी समिति की अवधि समाप्त होने वाली है, कम से कम 2 मास पूर्व पुनरीक्षित की जायेगी। कलक्टर या ऐसा अधिकारी, इस प्रयोजन के लिए मण्डी समिति से व्यापारियों और दलालों के निर्वाचन-क्षेत्रों और तुलाईकारों, मापकों, सर्वेक्षकों, भाण्डागारपालों और अन्य व्यक्तियों के निर्वाचन-क्षेत्रों में मत देने के लिए अर्हित समस्त व्यक्तियों के नाम मण्डी रजिस्टर से तैयार करने और उसको भेजने की अपेक्षा करेगा। वह, मण्डी क्षेत्र के भीतर की संस्थाओं से कृषक निर्वाचन-क्षेत्रों के अधीन मत देने के लिए अर्हित व्यक्तियों के नाम उसे सूचित करने को भी अपेक्षा करेगा।

(ii) उन नियम (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक सूची में मतदाता का क्रमांक, उसका पूरा नाम, आयु, उसके पिता या पति का नाम, उसका निवास स्थान और उसकी योग्यता की किस्म अंकित किये जायेंगे।

(iii) ऐसी प्रत्येक सूची ऐसे तरीके से तदर्थ रूप में प्रकाशित की जायेगी जैसा कलक्टर या ऐसा व्यक्ति उपयुक्त समझे।

(iv) तदर्थ रूप में मतदाता सूची प्रकाशित करते समय कलक्टर या ऐसा व्यक्ति एक तिथि निश्चित करेगा जो प्रकाशन की तिथि से एक महीने पश्चात् की नहीं होगी जिससे पूर्व किसी इन्द्राज को सम्मिलित करने, हटाने या दुरूस्त करने के लिए आवेदन-पत्र उसको दिया जा सके। कलक्टर या ऐसा व्यक्ति या इस प्रयोजन के लिए कलक्टर द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी निश्चित तिथि से पूर्व प्राप्त आवेदन तथा आपत्तियों को सुनेगा और उन पर निर्णय देगा और कलक्टर या ऐसे व्यक्ति या अन्य अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(v) कलक्टर या ऐसा व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन दिए गए आदेशानुसार सूचियों को संशोधित करायेगा और जिस तरीके से उपयुक्त समझे उनको अन्तिम रूप से पुन: प्रकाशित करायेगा।

(vi) उप-नियम (5) के अधीन मतदाताओं की सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् आवेदन पर या अन्यथा यदि कलक्टर को, उचित समझी गई जांच के पश्चात् सन्तुष्टि हो, कि सूची का कोई इन्द्राज या इन्द्राजात त्रुटिपूर्ण है या उसमें कोई बात दोषमय है तो कलक्टर उसमें संशोधन की सूची तैयार करवायेगा जिस पर उपनियम (ii) से (v) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे मतदाताओं की सूची में लागू होते हैं।

(vii) इस प्रकार की अन्तिम सूचियों की प्रतियां, अन्तिम संशोधनों सहित पूरी या अंशत: कलक्टर अथवा ऐसे व्यक्ति के कार्यालय में निरीक्षण तथा बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(viii) अन्तिम सूची तथा उप-नियम (v) के अधीन पुन: प्रकाशित संशोधनों की अन्तिम सूचियां मतदाताओं की सूचियों के रूप में किसी उप चुनाव के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावशील बनी रहेंगी।

9. निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव करने का आहान - नियम 8 के उप नियम (v) के अधीन मतदाताओं की सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, कलक्टर के निर्वाचन क्षेत्रों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव, इस प्रयोजन के लिए निश्चित तिथि को करने का आहान करेगा।

10. चुनाव करने का नोटिस - निर्वाचन (चुनाव) के लिए निश्चित तिथि से कम से कम 42 दिन पूर्व कलेक्टर (चुनाव का नोटिस जारी करेगा) और ऐेसे नोटिस की प्रतियां ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर तथा अन्य प्रमुख स्थान पर लगायेगा जिसमें निम्नलिखित वर्णन होगा -

(क) निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या,

(ख) उसको या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के समक्ष मनोनयन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, स्थान तथा समय की अवधि जो तिथि नोटिस के प्रकाशन से 14 दिन से पहले नहीं होगी,

(ग) मनोनयन पत्रों के जांच की तिथि,

(घ) नियम 17 के अन्तर्गत मनोनयन पत्र वापिस लेने की अवधि

(ङ) यदि वोट लेने हों तो मतदाताओं से मतदान की तिथि, स्थान तथा समय की अवधि जिसमें मतदान लिये जायेंगे, तथा

(च) मतगणना की तिथि, स्थान तथा समय।

11. मनोनयन - (1) नियम 10 के अनुच्छेद (बी) के अधीन निश्चित तिथि को प्रत्येक उम्मीदवार प्रपत्र-1 में कलक्टर को अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष मनोनयन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक मनोनयन पत्र पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार रखने वाले दो व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावक तथा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर होगे और उस पर उम्मीदवार चुनाव में खडे होने की सहमति दर्शाने की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) एक ही व्यक्ति उसी संख्या में मनोनीत पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कर सकेगा जितने रिक्त स्थान भरे जाने हों। प्रत्येक उम्मीदवार का मनोनयन पृथक मनोनयन पत्र पर किया जायेगा।

(4) कलक्टर या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति मनोनयन पत्र प्राप्त होने पर, मनोनयन पत्र पर उसका क्रमांक अंकित करेगा और उस पर मनोनयन पत्र प्रस्तुत किए जाने का दिनांक तथा समय का पृष्ठांकन करेगा।

(5) जब किसी व्यक्ति ने प्रस्तावक या समर्थक के रूप में भरे जाने वाले रिक्त स्थानों से अधिक संख्या में मनोनयन पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिये हों तो केवल वही पत्र वैध समझे जायेंगे। जितने रिक्त स्थानों की संख्या तक पहले प्राप्त हो चुके हैं।

(6) नियम 10 के अनुच्छेद (बी) के अधीन निश्चित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले मनोनयन पत्र खारिज किये जायेंगे।

12. मनोनयन पर जमा राशी - (1) मनोनयन पत्र देते समय या उससे पूर्व कलक्टर या नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति के पास उम्मीदवार 500 रू. जमा करायेगा किसी भी उम्मीदवार का मनोनयन पत्र तब तक सही नहीं समझा जाएगा जब तक कि इस नियम में बताई गई राशी जमा नहीं करा दी गई हो।

(2) यदि कोई उम्मीदवारों जिसने उपनियम (1) में निर्दिष्ट राशी जमा करा दी हो, नियम 17 में बताये गये तरीके से और अवधि के भीतर अपना नाम वापस लेता हो अथवा यदि किसी उम्मीदवार का मनोनयन नियम 16 के अधीन खारिज किया जाता है तो उसकी जमा राशी उम्मीदवार को वापस लौटा दी जायेगी, और मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाये तो ऐसी जमा राशी उसके कानूनी हकदार को लौटा दी जायेगी।

(3) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशी जमा करने वाले किसी उम्मीदवार का निर्वाचन नहीं हुआ हो और उसके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या डाले हुए कुल मतों की संख्या को चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित करने पर 1/6 से अधिक न हो तो उसकी जमा राशी मण्डी समिति में जब्त करली जायेगी।

(4) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए खारिज किये गये मतपत्रों के अतिरिक्त प्राप्त मत पत्रों की संख्या, कुल मतों की संख्या मानी जायेगी।

(5) यदि उप नियम (3) के अधीन किसी उम्मीदवार की जमा राशी जब्त न की गई हो तो निर्वाचन के परिणाम राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र लौटा दी जायेगी।

13. मनोनयन का प्रमाणीकरण - मनोनयन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलक्टर या निगम 11 (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति मतदाताओं की सूची से प्रस्तावक, समर्थक तथा उम्मीदवारों के नामों का प्रमाणीकरण (Verification) करेगा।

14. मनोनयन सूची का प्रकाशन - मनोनयन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए निश्चित तिथि के पश्चात् यथा-सम्भव शीघ्र कलक्टर या निगम 11 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रपत्र 11 में समस्त मनोनयन पत्रों की सूची प्रकाशित करेगा। जिसके साथ यह नोटिस होगा कि मनोनयन पत्रों की जांच नियम 10 के अनुच्छेद (सी) के अधीन नोटिस में दी गई तिथि, स्थान तथा समय पर होगी। मनोनयनों की सूची और नोटिस का प्रकाशन उस प्रकार से होगा जो कलक्टर या ऊपर कथित प्राधिकृत व्यक्ति उपयुक्त समझे।

15. मनोनयन की जांच - नियम 10 के अनुच्छेद (सी) के अधीन मनोनयनों की जांच के लिये निश्चित की गई तिथियों को, उम्मीदवार तथा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा

विधिवत लिखित में प्राधिकृत एक एजेन्ट, कलक्टर या नियम 11 के अधीन उनके प्राधिकृत व्यक्ति द्‌वारा निश्चित किये गये समय व स्थान पर उपस्थित रह सकेंगे और कलक्टर या इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति उन सब को समस्त उम्मीदवारों के मनोनयन पत्रों की जांच करने के लिये समुचित सुविधायें प्रदान करेगा।

16. मनोनयनों को खारिज करने में आपत्तियों का निपटारा - (1) तत्पश्चात् कलक्टर या नियम 11 के अधीन उसके द्‌वारा प्राधिकृत व्यक्ति मनोनयन पत्रों की जांच करेगा, और किसी भी मनोनयन पर तत्समय उठाई गई समस्त आपत्तियों पर निर्णय देगा और या तो उक्त आपत्ति पर या स्वत: ऐसी सरसरी जांच करने के पश्चात् जो वह उपयुक्त समझे, किसी भी मनोनयन को निम्नलिखितों में से किसी आधार पर खारिज कर सकेगा -

(1) यह कि उम्मीदवार, प्रस्तावक या समर्थक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम मतदाताओं की सूची में पंजीकृत नहीं है, अथवा

(2) मनोनयन इन नियमों के अनुसार नहीं किया गया है।

(3) कलक्टर या उपरोक्तानुसार प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक मनोनयन पत्र पर उसको स्वीकार किये जाने अथवा खारिज किये जाने का अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और यदि मनोनयन पत्र खारिज किया गया हो तो वह खारिज किये जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित में रेकार्ड करेगा। नियम 10 अनुच्छेद (सी) के अधीन इस प्रयोजन के लिए की गई निश्चित तिथि को जांच पूरी कर दी जायेगी और वह किसी भी कारण से स्थगित नहीं की जायेगी।

17. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना - कोई भी उम्मीदवार लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर करके और नियम 10 के अनुच्छेद (सी) के अधीन मनोनयनों की जांच के लिए निश्चित तिथि से आगे तीन दिन के भीतर, कलक्टर को या नियम 11 के अधीन उसके द्‌वारा प्राधिकृत व्यक्ति को नोटिस या तो स्वयं व्यक्तिगत प्रस्तुत करके या उसके किसी प्रस्तावक अथवा समर्थक द्‌वारा प्रस्तुत करवा के, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा।

मनोनयनों की जांच पूरी होने पर उप नियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कलक्टर तथा ऊपर बताया गया प्राधिकृत व्यक्ति प्रपत्र ।।। में ऐसे व्यक्तियों की सूची बनायेगा, जिनके मनोनयन सही हैं और जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है और चुनाव के लिए निश्चित तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व उसको अपने कार्यालय के मुख्य स्थान, संबंधित तहसील कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय और मण्डी समिति कार्यालय, पर चस्पा करवायेगा।

18. चुनाव की प्रक्रिया - (1) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनका सही मनोनयन हुआ है और जिन्होंने नियम 17 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से तथा अवधि में अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है, भरे जाने वाले रिक्त स्थानों से अधिक है तो मतदान लिया जायेगा।

(2) यदि ऐसे उममीदवारों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या से कम हो तो सब उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जायेंगे।

(3) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या रिक्त स्थानों से कम हो तो सब उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जायेंगे और कलक्टर या नियम 11 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र को निर्दिष्ट समय में जो वह निश्चित करे शेष रिक्त स्थान या स्थानों को भरने के लिये आव्हान करेगा।

19. चिन्हों का आवंटन (Assignment) - प्रत्येक प्रतिद्वन्द्वात्मक चुनाव में कलक्टर इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक उम्मीदवार को पृथक चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा।

20. मतदान पत्र का प्रपत्र - मतदान पत्र प्रपत्र 4-ए में छापा जायेगा उसमें उम्मीदवारों के नाम वर्ण क्रमानुसार (हिन्दी) में होंगे और साथ ही उसमें नियम 19 के अधीन प्रत्येक उम्मीदवार को आवंटित पृथकीकरण चुनाव चिन्ह अंकित होंगे :

परन्तु शर्त यह है कि नियम 18 के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नाम मत-पत्र पर दर्ज नहीं किये जायेंगे।

21. चुनाव कराने की व्यवस्था आदि - कलक्टर या इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, चुनाव कराने, उस पर देख-रेख रखने, मत-पत्रों की जांच करने और चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिये सारी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

22. वोट डालना - प्रत्येक मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने का अधिकार होगा:

23. चुनाव की प्रक्रिया जब वोट बराबर-बराबर हों - जब किसी चुनाव में मतदान लिया गया हो और किन्ही उम्मीदवारों के बीच बराबर-बराबर वोट पाये जावें, तो उम्मीदवारों का चुनाव लॉटरी से कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे तरीके से करायेगा जो कलक्टर या ऐसा व्यक्ति निर्धारित करे।

24. मतदान से महले उम्मीदवार की मृत्यु - मतदान लेना आवश्यक हो जाने के पश्चात् और मतदान लेने से पूर्व यदि किसी सही मनोनीत उम्मीदवार की मृत्यु हो जावे, तो उक्त उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के तथ्य पर सन्तुष्टि हो जाने पर कलक्टर चुनाव

खारिज कर देगा और हर प्रकार की चुनाव-प्रक्रिया पुन: नई प्रारम्भ की जायेगी मानो नये चुनाव के लिये हो:

परन्तु शर्त यह है कि ऐसे उम्मीदवार के मामले में ताजा मनोनयन की आवश्यकता नहीं होगी। जिसका मनोनयन चुनाव खारिज करने के समय वैध था।

25. कलक्टर को प्रतिनिधियों के नामों की सूचना - (1) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि वह व्यक्ति होगा जो ऐसे नगरपालिक बोर्ड या नगर परिषद् या नगर निगम या, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, जिसमें प्रधानमण्डी यार्ड अवस्थित है, द्वारा सदस्यों में से निर्वाचित किया जाये।

(2) स्थानीय प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 7 के अधीन निर्वाचित व्यक्तियों के नाम कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत तारीख के पूर्व लिखित में सूचित करेगा।

26. मण्डी समिति में आकस्मिक रिक्त स्थानों को भरना - धारा 7 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए उप चुनाव कराने की प्रक्रिया वही होगी जो कि आम चुनाव के लिये होती है।

27. मण्डी समिति के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के नामों का प्रकाशन - निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के नाम चुनाव तथा मनोनयन के पश्चात् यथा-सम्भव शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

27-ए. चुनाव की वैधता तय करना - (1) यदि कोई व्यक्ति जो या तो संबंधित चुनाव में निर्वाचित किये जाने या वोट डालने की योग्यता रखता हो मण्डी समिति के किसी सदस्य के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देना चाहे तो उक्त व्यक्ति चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् सात दिन के भीतर क्षेत्रीय सहायक निदेशक को लिखित आवेदन कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय सहायक निदेशक प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के बाद जो वह उपयुक्त समझे, निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करने या उसमें संशोधन करने या चुनाव को निरस्त करने का आदेश जारी करेगा [विलोपित] यदि बोर्ड या सैक्रेटरी चुनाव को निरस्त कर देता है तो एक तिथि तुरन्त निश्चित की जायेगी और ताजा चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(3) उप-नियम (2) के अधीन पारित क्षेत्रीय सहायक निदेशक के आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निदेशक को की जा सकेगी और

निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) अधिसूचना सं. एफ. 10 (191) एग्री-ग्रुप.2/74 दिनांक 4-7-75 से पूर्व जो मामले निदेशक के समक्ष विचाराधीन हों, जो चाहे अंशत: सुने गये हों या जिनको निदेशक द्वारा सुना जाना हो, वे उप-नियम (1) तथा (2) के अनुसरण में सैक्रेटरी द्वारा सुने जायेंगे और निर्णीत किये जायेंगे।

28. अयोग्य व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा - (1) यदि मनोनयन या निर्वाचन, यथास्थिति के पश्चात् किसी समय कोई सदस्य नियम 4 में उल्लिखित किसी अयोग्यता को प्राप्त हो गया हो तो सरकार उसे हटा सकेगी और तत्पश्चात् उसका स्थान रिक्त हो जायेगा:

परन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन किसी सदस्य को हटाने की अधिसूचना जारी करने से पूर्व संबंधित सदस्य को प्रस्तावित निष्कासन के कारण बताये जायेंगे और उसे लिखित में स्पष्टीकरण प्रेषित करने का अवसर दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी 'व्यापारी और दलाल' निर्वाचन क्षेत्र या 'तुलाईकार, मापक, सर्वेक्षक और भाण्डागार पालक और अन्य व्यक्ति' निर्वाचन क्षेत्र या 'स्थानीय प्राधिकरण' निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में पद पर बना नहीं रहेगा यदि वह उस निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य नहीं रह जाता है जिसने उसका निर्वाचन किया था। ऐसे सदस्य का भविष्य में मण्डी समिति की बैठकों में उपस्थित होना स्वत: बन्द हो जायेगा।

29. चुनाव के सम्बन्ध में या उनके प्रसंग में होने वाला व्यय - मण्डी समिति के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में या उसके प्रसंगवश होने वाला समस्त खर्चा जो कलक्टर या नियम के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कर वह धारा 34 के अधीन मण्डी समिति से वसूली योग्य होगा।

30. मतपत्रों को नष्ट करना - नियम 27 के अधीन मण्डी समिति के निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों के नामों के प्रकाशन की तिथि से तीन महीनों की समाप्ति पर समस्त मतपत्र जो कलक्टर या इस कार्य के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में हो वे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपस्थिति में अथवा उस प्रयोजन के लिये मण्डी समिति द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति में कलक्टर या इस कार्य द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई तिथि को नष्ट किये जा सकेंगे।

भाग - 3

मण्डी समितियां, उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य, उनका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, अधिकारीगण और विवाद उप- समितियाँ

31. अधिकार और कर्त्तव्य - अधिनियम में विर्निष्ट शक्तियों और कर्त्तव्यों के अतिरिक्त मण्डी समितियों की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वे नीचे बताये गये कर्त्तव्यों का पालन करेंगी -

1. शक्तियाँ -

(1) उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने की सिफारिश करना,

(2) मण्डी पर पूर्व नियंत्रण करना,

(3) मण्डी सचिव (Market Secretary) के अतिरिक्त अन्य उच्च तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित योग्यतायें निर्धारित करना,

(4) संविदा का समान प्रपत्र (Standard Form) बनाना,

(5) नीलाम बोलने वालों को नियोजित करना,

(6) लाइसेन्स ग्रस्त क्षेत्र (Licensed Premises) में गाडियां तथा सामान (Loads) लाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त करना,

(7) दलालों, तोलने वालों मापकों सर्वेक्षकों और भण्डारीकरण करने वालों का लाइसेन्स वापस लेना,

(8) हिसाब रखने, नक्शे (returns) भेजने, फीस की वसूली के लिये सहायता देने या फीस की अदायगी से वंचन (evasion) करने पर रोक लगाने हेतु लाइसेन्स धारियों से अपेक्षा करना,

(9) नियमानुसार किसी व्यापारी का नाम रजिस्टर से हटाना,

(10) तुलाई पर नियन्त्रण रखना।

2. कर्त्तव्य -

(1) अधिनियम, नियमों और उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं तथा अपने उननियमों की प्रतियां अन्तिम तिथि तक संशोधित रूप में (up-to date) रखना,

(2) कार्यवाही की पंजिका रखना (minute book),

(3) मण्डी को अच्छी और स्वच्छ (Sanitary) हालत में रखना,

(4) मण्डी यार्ड या उप यार्ड में लाये गये प्रत्येक वाहन या भार (Load) का हिसाब रखना,

(5) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से जमानत लेना,

(6) वसूल की गई फीस का रजिस्टर रखना,

(7) फीस वसूल करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को रोकड पेटी तथा दो पत्तों वाली रसीद बुकें देना,

(8) व्यापारियों, दलालों, तोलने वाली, माप करने वालों और संवेक्षकों को लाइसेन्स जारी करना,

(9) प्राधिकृत बाट और कांटे का एक सैट रखना,

(10) निर्माण कार्यों के लिए नक्शे और तकमीने बनाना,

(11) सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर हिसाब किताब करना,

(12) अपनी सम्पत्ति और दायित्वों का विवरण प्रकाशित करना,

(13) आमद तथा खर्च पर नियन्त्रण रखना,

(14) बजट के अनुसार खर्च को नियमित करना,

(15) आगामी वर्ष के लिए बजट बनाना और उसे पारित करना,

(16) विपणन संबंधी सूचनायें प्रदान करना,

(17) कृषि उपज की अस्थाई रूप में भण्डारीकरण की व्यवस्था करना।

32. समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव - (1) कलक्टर या उसके द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति नवीन गठित मण्डी समिति की प्रथम बैठक (अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (8) के अध्यधीन रहते हुए, उसके सदस्यों में से) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलायेगा। इस चुनाव के प्रयोजनार्थ कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति बैठक का सभापतित्व करेगा परन्तु वोट नहीं देगा।

(2) ऐसी बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए उम्मीदवार अलग-अलग प्रस्तावित तथा अनुमोदित किए जायेंगे। प्रस्तावक और अनुमोदक एक ही व्यक्ति नहीं हो सकेगा। बैठक का सभापति उन तमाम उम्मीदवारों के नाम पढकर सुनायेगा जिनके नाम प्रस्तावित और समर्थित (अनुमोदित) हुए हों।

(3) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हेतु प्रत्येक के लिए केवल एक उम्मीदवार हो तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(4) यदि ऐसे उम्मीदवार दो या अधिक हों तो उपस्थित सदस्यों से वोट लिए जायेंगे।

(5) प्रत्येक सदस्य को जो वोट देना चाहे उसे एक मत पत्र दिया जायेगा। जिस पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति के पद के लिए खडे हुए समस्त उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट पढे जाने योग्य अंग्रेजी में और हिन्दी में लिखे होंगे। प्रत्येक मत पत्र के प्रश्न पर सभापति अपने हस्ताक्षर करेगा।

(6) तब मतदाता, जिसको वह वोट देना चाहे उसके नाम के आगे निशान कर देगा उसको मोडेगा और सभापति के सामने रखी हुई मतदान पेटी में डाल देगा। यदि कोई मतदाता ऐसा करने से असमर्थ हो तो (सदस्यों की उपस्थिति में) सभापति मतदाता के निर्देशानुसार मतपत्र पर निशान लगायेगा और उसे मतदान पेटी में डाल देगा।

(7) तदुपरान्त सभापति सदस्यों की उपस्थिति में मतदान पेटी को खोलेगा और मतों (वोटों) की गिनती करेगा और जिस सदस्य ने अध्यक्ष पद के लिये या उपाध्यक्ष पद के लिये जैसी भी स्थिति हो, सर्वाधिक वोट प्राप्त किये हों निर्वाचित घोषित करेगा। यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के बीच वोट संख्या समान हों तो सभापति सदस्यों की उपस्थिति में लाटरी खोलेगा और जिसका नाम पहले निकलेगा उसे निर्वाचित घोषित करेगा।

(8) सभा समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित व्यक्तियों के नाम की घोषणा करने का नोटिस सभापति मण्डी समिति कार्यालय के मुख्य स्थान पर चस्पा करवायेगा।

(9) यदि किसी मतपत्र पर मतदाता के हस्ताक्षर हों या एक से अधिक नामों के आगे निशान किये हुए हों या जिसकी पुश्त पर सभापति के हस्ताक्षर न हों, वह मतपत्र अवैध होगा।

(10) सभापति मतपत्रों को सीलबन्द करेगा और वे मण्डी समिति कार्यालय में सुरक्षित संरक्षण में रखे जायेंगे और कलक्टर के आदेशों के सिवाय मतपत्रों के पैकेट खोले या नष्ट नहीं किये जायेंगे।

(11) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के दरमियान कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी निर्णय के सही या अन्यथा होने या उसके द्वारा की गई प्रक्रिया के विषय में कोई विवाद उठ खडा हो तो यह प्रश्न (निदेशक कृषि विपणन) को भेजा जायेगा और (निदेशक कृषि विपणन) द्वारा उक्त विवाद के विषय में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

33. अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां - अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष-

(1) मण्डी समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन करेगा,

(2) वित्तीय कार्यकारिणी प्रशासन के ऊपर निगरानी रखेगा,

(3) अत्यावश्यक मामलों में जिसमें मण्डी समिति की स्वीकृति की अपेक्षा हो किसी कार्य को रूकवाने का या करवाने का निर्देशन दे सकेगा।

(4) [X X X]

(5) सरकार या निदेशक से समस्त पत्राचार के लिये उत्तरदायी होगा,

(6) वह सैक्रेटरी की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा। अन्य प्रकार के अवकाश के लिये सैक्रेटरी अध्यक्ष के माध्यम से निदेशक को आवेदन करेगा जो सरकारी कर्मचारी पर लागू अवकाश नियमों के अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही करेगा।

(7) खजाने के निदेशक द्वारा अनुमोदित बैंक में नहीं जमा कराई हुई राशियों को सुरक्षित संरक्षण में रखने के लिए वह जिम्मेदार होगा।

34. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्यकाल तथा उनके पद की आकस्मिकता - (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की निर्वाचन तिथि से यथास्थिति (पाँच वर्ष) के लिए अथवा मण्डी समिति की अवधि तक पद धारण करेगा सिवाय उस मामले में जबकि धारा 7 की उपधारा (3) में उल्लेखित पहली दफा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ हो।

(2) कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने, त्यागपत्र देने या किसी अन्य कारण से पद समाप्त हो जाने के कारण कार्यकाल समाप्त हो जाने की अवस्था में, कलक्टर या इस वर्ष के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुनने हेतु मण्डी समिति की बैठक बुलायेगा। कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व करेगा परन्तु वोट नहीं देगा। इस उपनियम के अधीन रिक्त स्थान को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक अध्यक्ष उतनी अवधि के लिए पद धारण करेगा जितनी अवधि तक वह अध्यक्ष पद धारण करता, जिसके स्थान पर उसका निर्वाचन हुआ, यदि उक्त स्थान रिक्त नहीं होता।

(3) कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उपाध्यक्ष की मृत्यु हो जाने, त्याग-पत्र देने या किसी अन्य कारण से पद समाप्त हो जाने की अवस्था में अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनने हेतु मण्डी समिति की बैठक बुलायेगा। अध्यक्ष ऐसी बैठक का सभापतित्व करेगा और वह वोट देने का अधिकारी होगा। इस उपनियम के अधीन आकस्मिक रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रत्येक उपाध्यक्ष उतनी अवधि के लिए पद धारण करता, जिसके स्थान पर उसका निर्वाचन हुआ, यदि उक्त स्थान रिक्त नहीं होता:

परन्तु शर्त यह है कि जब किसी अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो तो जब तक नये अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता तब तक उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों का पालन करेगा:

आगे शर्त यह है कि जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के स्थान रिक्त हों या उनमें से कोई भी अध्यक्ष के कार्यों का पालन करने में समर्थ न हो, तो (निदेशक) द्वारा नियुक्त व्यक्ति, नये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होने तक ऐसे कार्यों का पालन करेगा।

(4) उप नियम (2) या (3) के प्रावधानों के अधीनस्थ रहते नियम 32 बी के प्रावधान यथा सम्भव उपनियम (2) या (3) के अधीन, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर लागू होंगे।

35-ए. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र (इस्तीफा) मण्डी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य (निदेशक) को लिखित में आवेदन देकर त्यागपत्र देगा। ऐसा कोई भी त्यागपत्र तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक कि वह (निदेशक) द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

35-बी. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव - (1) मण्डी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस लिखित में होगा जो उस जिले के कलक्टर को सम्बोधित होगा जिसमें मण्डी समिति का मुख्य मण्डी यार्ड स्थित है, यह नोटिस प्रपत्र 10 में होगा और उस पर मण्डी समिति के उन सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे जिनका इरादा उक्त प्रस्ताव लाने का है और उस पर मण्डी समिति के कुल सदस्यों की संख्या से एक तिहाई से कम सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होंगे। अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरूद्ध होने की दशा में पृथक-पृथक नोटिस एक अध्यक्ष के विषय में तथा अन्य उपाध्यक्ष के विषय में ऊपर बताये गये तरीके से दिये जायेंगे।

(2) उप नियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, नोटिस की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर मण्डी समिति की बैठक बुलायेगा और उस बैठक का सभापतित्व करेगा।

(3) कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी किसी भी अविश्वास प्रस्ताव पर मण्डी समिति द्वारा लिया गया निर्णय तुरन्त (निदेशक) को सूचित करेगा जिसके साथ बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के नाम तथा उक्त प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में दिये गये वोटों, वोटों की संख्या भेजेगा। ऐसी बैठक में लिये गये निर्णय की सूचना वह नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करेगा।

36. समिति की बैठकें - (1) नियम 32 के अनुच्छेद (1) में बताई गई बैठक के सिवाय, मण्डी समिति की प्रत्येक बैठक (सभा) का सभापतित्व अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा या उन दोनों की अनुपस्थिति में उस अवसर पर सभापतित्व करने हेतु सभा द्वारा चुना गया व्यक्ति (सभापतित्व) करेगा। (प्रत्येक मीटिंग का कोरम (quorum) 5 सदस्यों को होगा, परन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठक (adjourned meeting) के लिए कोई कोरम नहीं होगा। उप नियमों में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार बैठक की जायेगी।

(2) बैठक का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति सभा में उठाये गये प्रश्नों पर बोलने और वोट देने का अधिकारी होगा।

(3) बैठक का सभापतित्व करने वाले सदस्य को, उस बैठक के लिये या उस बैठक पर सभापतित्व करने के दौरान के समय में अध्यक्ष की समस्त शक्तियां प्राप्त होगी।

(4) किसी भी बैठक में समिति के समक्ष रखे गये समस्त प्रश्नों का निर्णय उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा और मत बराबर होने के प्रत्येक मामले में बैठक का सभापतित्व करने वाला सदस्य द्वितीय या निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(5) स्थगित बैठक (adjourned meeting) के सिवाय, बैठक का कोरम मण्डी समिति की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा।

37. बैठक बुलाने और उनमें उपस्थित होने के हकदार व्यक्ति - (1) यदि निदेशक मण्डी समिति की बैठक बुलाना चाहे या किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने हेतु समिति की सदस्य संख्या कम से कम 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करके मांग करे, तो अध्यक्ष ऐसी बैठक बुलायेगा।

(2) कलक्टर या इस कार्य के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ''निदेशक या बोर्ड के सैक्रेटरी या उसके द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति'' मण्डी समिति की बैठक में उपस्थित होने के हकदार होंगे। परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। बैठक बुलाने के नोटिस की प्रति ''कलक्टर, निदेशक और बोर्ड के सेक्रेटरी'' को या इस कार्य के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(3) जनता में से कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से मण्डी समिति की बैठक में उपस्थित हो सकेगा। परन्तु उसको वाद-विवाद में भाग लेने या वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

38. कार्यवाही-पंजिका (Minute Book) - प्रत्येक मण्डी समिति कार्यवाही-पंजिका रखेगी और प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिलेख बैठक का सभापतित्व करने वाले

सदस्य द्वारा या उसके अधीक्षण में उस पंजिका में दर्ज किया जाएगा और उस पर उसके हस्ताक्षर होंगे। कार्यवाही-पंजिका स्थाई रूप से सुरक्षित रखी जाएगी। वह मण्डी समिति के सदस्यों को तथा ''निदेशक एवं बोर्ड का सैक्रेटरी एवं कलक्टर या इस कार्य के इनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति'' को निरीक्षण के लिए हर उचित समय पर उपलब्ध होगी। मण्डी समिति की कार्यवाहियां जन अभिलेख (Public Documents) नहीं समझे जावेंगे और किसी न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने के सिवाय उनको प्रतियां प्रदान नहीं की जायेंगी। मण्डी समिति का सैक्रेटरी कार्यवाही लिखी जाने का जिम्मेदार होगा और वह कार्यवाही पंजिका पर हस्ताक्षर करेगा।

39. बैठक की कार्यवाही की प्रति - मण्डी समिति की प्रत्येक आमसभा की कार्यवाही की प्रति कलक्टर को तथा ''निदेशक एवं बोर्ड के सेक्रेटरी या निदेशक की ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति'' को भेजी जायेगी।

40. मण्डी समिति कतिपय कार्यों के लिए प्रावधान करेगी - सरकार को देय समस्त निधियों का भुगतान करने के पश्चात् मण्डी समिति जहां तक उसकी उपलब्ध विधियों में गुंजाइश हो, परन्तु अधिनियम तथा इन नियमों के अधीनस्थ रहते, निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रावधान करेगी -

(1) मण्डी यार्ड के किसी अहाते या भवन का रख-रखाव तथा सुधार,

(2) मण्डी के कार्य के लिए आवश्यक भवन, चबूतरे तथा अन्य इमारत का निर्माण और मरम्मत,

(3) मण्डी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए तन्दुरूस्ती, सुविधायें तथा हिफाजत की व्यवस्था।

41. विवाद उप समिति की नियुक्ति - (1) मण्डी समिति विवाद उप समिति नाम की एक उप समिति बना सकेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे -

(ए) समिति के मनोनीत सदस्यों में से एक इस उप समिति का सभापति होगा,

(बी) मण्डी समिति में कृषकों के प्रतिनिधियों में से एक,

(सी) मण्डी समिति में व्यापारियों के प्रतिनिधियों में से एक,

(डी) मण्डी समिति में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों में से एक,

(ई) सहकारी संस्थाओं या केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेन्सी के प्रतिनिधियों में से एक,

(2) विवाद उप समिति क्रेताओं या विक्रेताओं या उनके एजेन्टों के बीच विवाद को निपटाने की व्यवस्था करेगी जिसमें वस्तुओ के गूण (quality) उनके पैकिंग, वारदाने,

कचरा या अशुद्धता या किसी अन्य कारण से कटौती सम्बन्धी विवाद सम्मिलित होंगे।

(3) विवाद उप समिति प्रत्येक मण्डी यार्ड के लिए एक नामावली (Penal) नियुक्त करेगी जिसमें उपरोक्त विवादों के निपटारे के लिए पंच रूप में काम करने वाले व्यक्ति होंगे जिनकी संख्या 10 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं होगी। नामावली में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति या तो मण्डी या उसके निकट रहने वाला कृषक होगा या मण्डी में जिसमें कोई विवाद खडा हुआ हो, काम करने वाला व्यापारी होगा। विवादग्रस्त पक्षकार निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार विवाद निपटने में सहमत हो सकेंगे -

(ए) (लोपित)

(बी) विवादग्रस्त प्रत्येक पक्षकार, विवाद उपसमिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त नामावली में से एक पंच (arbitrator) चुन लेगा।

(सी) यदि पंचगण सहमत होने में विफल रहें तो वे विवाद का निपटारा करने हेतु एक मध्यस्थ (Umpire) की नियुक्ति कर सकेंगे जिसका चुनाव भी ऊपर कथित नामावली (Penal) में से किया जायेगा।

(डी) पंचों (arbitrator) तथा मध्यस्थ (Umpire) के निर्णय के विरूद्ध अपील विवाद-उप समिति के समक्ष हो सकेगा।

(ई) पंचों या मध्यस्थ का निर्णय अथवा जबकि अपील विवाद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, तो उक्त विवाद में उप-समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(एफ) उक्त उप-समिति की बैठक में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि कम से कम तीन सदस्य उपस्थित न हों।

(जी) उप-समिति की बैठक का सभापतित्व उप समिति का सभापति करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर सभापतित्व करने के लिए सभा द्वारा चुना गया सदस्य होगा।

(4) जहां तक संभव हो विवाद का निर्णय उसी दिन कर दिया जायेगा।

(5) किसी भी बैठक में विवाद उप-समिति के सामने आये समस्त प्रश्नों का निर्णय सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और बराबर बराबर मत प्राप्त होने की दशा में सभापति या सभापतित्व करने वाले सदस्य को द्वितीय निर्णायक मत देने का अधिकार होगा और वह इसका प्रयोग करेगा।

(6) मण्डी समिति, विवाद उप-समिति के सामने आए तमाम विवादों का पूरा रिकार्ड रखेगी और मण्डी समिति का सैक्रेटरी ऐसी विवाद उप-समिति का सैक्रेटरी (सचिव) होगा।

42. अन्य उप-समितियां - (1) ऊपर कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, प्रत्येक विपणन समिति में विपणन समिति की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उप-समितियां हो सकती है -

(i) **कार्यकारी उप-समिति -** यह उप-समिति पदों का सृजन, सेवा शर्तों निबंधन तथा सेवा के समवर्ती मामलों, व्यापार प्रक्रियाओं, विपणन व्यवस्थाओं, उप-नियम तैयार करना, अनुज्ञप्तियों (लाइसेंसों) को जारी करना, निलम्बित करना, निरस्त करना, विपणन क्षेत्रों को सम्मिलित करना, उप-बाजारों के क्षेत्र की घोषणा करना संबंधी निर्णय करेगी।

(ii) **वित्त उप-समिति -** यह उप-समिति बजट, निधि-निवेशन, क्रय-प्रक्रियाएं, भूमि एवं अन्य सम्पदाओं का अर्जन या निर्वतन, ऋण प्राप्त करना, प्रावधायी निधियों का निवेश संबंधी निर्णय करेगी।

(iii) **विकास उप-समिति -** यह उप समिति विपणन समितियों के निर्माण कार्यक्रमों, उनकी प्राथमिकताओं संबंधी निर्णय करेगी।

(2) इस प्रकार से गठित उप-समितियों में तीन से कम एवं पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे, परन्तु उनमें से एक सदस्य सरकार का मनोनीत सदस्य होगा।

(3) विपणन समिति का अध्यक्ष, यदि वह उप-समिति का एक सदस्य है, इस समिति का संयोजक होगा तथा अन्य मामलों में विपणन समिति उप-समितियों के गठन के समय संयोजक की नियुक्ति करेगी।

(4) ऐसे किसी विशेष के संबंध में, विपणन समिति निर्णय नहीं देगी जिसके लिए उन समिति को शक्तियां प्रदत्त की गई है, जब तक कि पहले वह मामला ऐसी उप-समिति द्वारा प्रसंस्कृत (Process) नहीं किया गया हो।

(5) प्रत्येक समिति, अपनी कार्यवाहियों की एक कार्यवृत्त पुस्तक (Minute-book) रखेगी तथा विपणन समिति के सचिव उप-समिति द्वारा आयोजित बैठकों की कार्यवाहियों का उस पुस्तक में लेखन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

43. मण्डी समिति के कर्मचारी - (ए) (i) प्रत्येक विपणन समिति, राज्य-सरकार से कह कर, ऐसे वेतनमान तथा भत्ता, जो कि राज्य सरकार नियुक्त करेगी, पर एक सचिव प्रतिनियुक्त कर नियुक्त करवाएगा।

(ii) यदि निदेशक यह सिफारिश करता है कि किसी विशिष्ट श्रेणी की विपणन समिति में अतिरिक्त सचिव की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार भी, ऐसे वेतनमानों एवं भत्तों पर जैसा कि सरकार नियत करे अतिरिक्त सचिव प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करेगी।

(बी) सेक्रेटरी के अधिकार तथा कर्त्तव्य -

(1) सैक्रेटरी मण्डी समिति का अधिकारी (Executive) अधिकारी होगा मण्डी समिति के प्रस्ताव को कार्यान्वित करेगा।

(2) समिति के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी उसके नियंत्रण के अधीन होंगे। समिति में कार्य को उचित तथा सुचारू रूप से संचालन के लिए वह जिम्मेदार होगा।

(3) समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य की देखरेख रखना तथा उनकी लापरवाही, दुराचरण के लिए उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करना उसका कर्त्तव्य होगा।

(4) समिति द्वारा जारी किए गए तमाम आदेशों का समुचित पालन करने के लिये वह जिम्मेदार होगा वह समिति द्वारा किये गये निर्देशों के अनुसरण में समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा या करवायेगा।

(5) समिति द्वारा रखे गये कर्मचारी वर्ग का सैक्रेटरी मुखिया होगा।

(6) अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन रहते, सैक्रेटरी समिति द्वारा प्राप्त राशियों एवं या उसकी ओर से खर्च की गई राशियों का उचित हिसाब रखने के लिए जिम्मेदार होगा व तमाम साधारण पत्राचार का संचालन करेगा और कार्यालय के अन्य लेखन कार्य को भी देखेगा।

(7) सरकार या निदेशक के अधीनस्थ कार्यालयों से समस्त पत्राचार अध्यक्ष के माध्यम अथवा उसकी पूर्व अनुमति से होगा, जिसे संबंधित प्राधिकारियों का अपनी टिप्पणी सहित यदि कोई हों, पहुंचाने के लिए वह बाध्य होगा।

(8) विवाद उप समिति के समक्ष निर्णय हेतु आये तमाम विवादों का पूरा रेकार्ड समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर रखे जाने के लिए भी वह जिम्मेदार होगा।

(9) अपने द्वारा निपटाए गए विवाद का रिकार्ड भी समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर वह रखेगा।

(10) मण्डी में कृषि उपज के क्रय-विक्रय के समस्त मामलों के विषय में लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर सैक्रेटरी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष, को अधिनियम, नियम तथा उप विधियों (उप-नियम) के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही करने हेतु देगा।

(11) वह मण्डी समिति की बैठक बुलायेगा और उसे समिति या उसकी उप-समिति की सभाओं में बोलने और अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा। परन्तु वह वोट देने या कोई प्रस्ताव लाने का हकदार नहीं होगा।

(12) जब भी सैक्रेटरी के पद की रिक्ति थोडे समय के लिए हो जावे तो निदेशक, मण्डी समिति की राय लेकर मण्डी समिति के किसी सदस्य या कर्मचारी को उक्त पद का अतिरिक्त भार धारण करने के लिए आदेश देगा।

(13) सैक्रेटरी के अलावा मण्डी समिति ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों का नियोजन कर सकेगी जो उसके कर्त्तव्य को सुचारू रूप से पालन करने के लिए आवश्यक या उचित हो। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा।

(ए) उच्च श्रेणी अधिकारी तथा कर्मचारी, तथा

(बी) निम्न श्रेणी कर्मचारी।

सहायक सचिव (Assistant Secretary) लेखापाल, खजान्ची, सुपरवाईजर्स, कानूनगो लिपिक तथा सैक्रेटरी के अतिरिक्त निदेशक द्वारा निर्धारित अन्य कर्मचारी उच्च श्रेणी में होंगे। निम्न श्रेणी में चपरासी, चौकीदार, तथा अन्य शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी होंगे।

(14) उच्च श्रेणी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्ते वे होंगी जो निदेशक अनुमोदित करे और निम्न श्रेणी कर्मचारियों की सेवा शर्ते वे होंगी जो मण्डी समिति स्वयं तय करे।

(15) निदेशक के अनुमोदन के अधीनस्थ रहते, उच्च श्रेणी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति मण्डी समिति करेगी। उच्च श्रेणी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कोई दण्ड, वेतन तथा सेवा की शर्तों में परिवर्तन तथा बर्खास्तगी भी निदेशक के अनुमोदन के अधीनस्थ रहेगी। निम्न श्रेणी कर्मचारी मण्डी समिति के पूर्व नियन्त्रण में रहेंगे परन्तु उनकी नियुक्ति, वेतन, दण्ड, बर्खास्तगी तथा अन्य मामलों के विषय में मण्डी समिति तुरन्त निदेशक को रिपोर्ट करेगी।

(16) लिखित आदेश द्वारा निदेशक इस नियम के अधीन अपनी कोई शक्तियां तथा कर्त्तव्य ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उपयुक्त समझे, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी की सूपुर्द (Delegate) कर सकेगा।

(17) मण्डी समिति द्वारा नियोजित किसी भी सरकारी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जायेगा सिवाय उस अधिकारी द्वारा जो यदि उस समय वह सरकार की सेवा में होता या सरकार की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों के अनुसरण से अन्यथा किसी प्रकार दण्डित नहीं किया जायेगा।

(18) मण्डी समिति अपने उन अधिकारियों और कर्मचारियों से पर्याप्त प्रतिभूति (Security) लेगी जिनको धनराशियों के लेन-देन का कार्य सुपुर्द किया गया हो।

44. मण्डी समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा भत्ता - मण्डी समिति अपने सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को जो उसकी बैठकों या मण्डी समिति के किसी अन्य कार्यों के लिए यात्रा करें, निम्नलिखित दर से यात्रा भत्ता अदा कर सकेगी -

(ए) किराये -

(1) रेल द्वारा यात्राओं के लिए -

(i) सदस्यगण जिनमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं - प्रथम श्रेणी का किराया यदि निम्न श्रेणी से यात्रा की हो तो वास्तविक किराया।

(ii) सैक्रेटरी और अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारी - राज्य सरकार के यात्रा नियमों के अनुसार

(2) सडक द्वारा यात्रा के लिए -

(i) यदि नियमित बस सेवा से स्थान जुडे हुए हों - वास्तविक बस किराया

(ii) उन स्थानों के लिए जो ट्रेन या बस सेवा से जुडे हुए नहीं हों

(i) सदस्यगण, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित - 40 पैसे प्रति किलोमीटर

(ii) सैक्रेटरी और अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण - राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार

परन्तु शर्त यह है कि यात्रा सबसे सस्ते और छोटे मार्ग द्वारा की जानी चाहिये।

(बी) प्रासंगिक खर्चे -

रेल बस द्वारा यात्रा के लिए -

(i) सदस्यगण, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित - 40 पैसे प्रति किलोमीटर या उसका भिन्न परन्तु 5 किलोमीटर से अधिक।

(ii) सैक्रेटरी और अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण - राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार

प्रासंगिक खर्चे की राशी 24 घण्टों या उसके किसी भाग की वास्तविक यात्रा के लिये एक दिन के दैनिक भत्ते तक सीमित होगी।

(सी) दैनिक भत्ता -

''(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य :

क्र. सं.	पद का नाम	**24 घण्टे के प्रतिदिन या उसके भाग के लिए** जयपूर को छोडकर राजस्थान में और राजस्थान के बाहर	जयपुर और अन्य राज्यों की राजधानियों के लिए	रूपये की दर पर दिल्ली,मुम्बई,चैन्नई, कलकत्ता और अन्य महानगरों के लिए
(i)	अध्यक्ष	65	80	100
(ii)	उपाध्यक्ष	65	70	100
(iii)	सदस्य	55	60	80

(2) सेक्रेटरी, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारियों को राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि बैठक समाप्त होने के पश्चात् उस दिन (अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए कोई सदस्य) को सवारी नहीं मिले तो अगले दिन के लिए वह आधा दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

(डी) बैठक शुल्क -

किसी सदस्य को, जिसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है, जो मण्डी समिति के मुख्यालय पर निवास करते हों, मण्डी समिति की सभा में उपस्थित होने के लिए (ऊपर विनिर्दिष्टानुसार दैनिक भत्ता) प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क मिलेगा।

(ई) स्थानान्तर होने पर यात्रा -

1. सैक्रेटरी, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण - राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार

(एफ) ''निदेशक'' या इस कार्य के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पूर्वगामी स्वीकृति के बिना, मण्डी समिति अपने सदस्य, सैक्रेटरी और कर्मचारी को अपने क्षेत्र के बाहर यात्रा करने के लिए खर्चा करने की अनुमति नहीं देगी जैसा कि ''निदेशक'' निश्चित करे जिसमें वह स्थित है।

(जी) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मण्डी समिति के मुख्यालय पर या उसके किसी उप-यार्ड पर जाने का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता एक महीने में 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं मांग सकेगा, परन्तु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक महीने में 5 दिन के लिए रू. 5.50 प्रतिदिन की दर से सवारी खर्च की मांग कर सकेंगे।

44-क. मानदेय भत्ता - मण्डी समिति के अध्यक्ष को नीचे वर्णित दरों के अनुसार मानदेय संदत किया जायेगा।

(क) विशेष वर्ग और ''क'' वर्ग मण्डी समिति में 2000/- प्रति माह

(ख) ''ख'', ''ग'' और ''घ'' वर्ग मण्डी समिति में 1000/- प्रति माह

भाग - 4

मण्डी निधि - व्यय तथा हिसाब

45. मण्डी समिति निधि - मण्डी समिति द्वारा प्राप्त समस्त राशियां मण्डी समिति निधि नामक निधि में जमा की जायेंगी। सिवाय उस अवस्था में जब कि सरकार, मण्डी समिति के आवेदन पर या अन्यथा, निदेशन करे, मण्डी समिति में जमा कराई गई समस्त राशियां कम से कम सप्ताह में एक दफा पूरी सरकारी खजाने या उप खजाने मे या निदेशक द्वारा अनुमोदित बैंक में जमा कराई जावेगी। निधि की समस्त शेष रकम, उक्त खजाने, उप-खजाने या बैंक में रखी जायेगी और वह इन नियमों के अनुसरण के अतिरिक्त वापस निकाली नहीं जायेगी।

46. व्यय - (1) अग्रधन (Imprest) में से किए गए भुगतानों के अलावा सभी भुगतान मण्डी समिति की ओर से जारी किये गये चैक द्वारा होंगे।

(2) सैक्रेटरी द्वारा जांच किए गए और पास किए गए बिलों के भुगतान के सिवाय मण्डी समिति की ओर से कोई चैक जारी नहीं किया जाएगा और सैक्रेटरी तब तक कोई भी बिल भुगतान हेतु पास नहीं करेगा, जब तक कि उसमें वर्णित खर्चे के लिए मण्डी समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हो गई हो, सिवाय,

(i) कर्मचारी वर्ग के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए,

(ii) उन निर्माण कार्यों और मरम्मत के लिए भुगतान हेतु जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हो चुकी हो,

(iii) किसी अविलम्ब (Urgent) खर्चे की अदायगी हेतु जिसके लिए बजट में प्रावधान हो या जो रू. 2000/- से अधिक नहीं हो,

(3) (i) मण्डी समिति के निगित्त लिखे गये 50,000/- रूपये या इससे कम मूल्य के चैक पर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और मण्डी समिति के निमित्त लिखे गये सभी अन्य चैकों पर सचिव और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे:

परन्तु यदि सचिव द्वारा अध्यक्ष के हस्ताक्षरों के लिए प्रस्तुत किये गये चैकों पर प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं तो ऐसे चैकों पर सचिव और संबंधित क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे:

परन्तु यह और कि जब सचिव राजपत्रित अधिकारी हो, तो वह ऐसे चैकों पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होगा, जिसका मूल्य एक लाख रूपयों से अधिक नहीं है:

परन्तु यह भी कि ऐसे मण्डी समितियों में, जहाँ प्रशासक नियुक्त किया गया है, सचिव अराजपत्रित होने की दशा में 50,000/- रू. से अधिक की रकम के लिए और सचिव राजपत्रित अधिकारी होने की दशा में 1.00 लाख रूपये से अधिक की रकम के लिए सचिव और प्रशासक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ii) जब तक उपरोक्तानुसार चैक पर हस्ताक्षर नहीं हो तब तक किसी भी सरकारी खजाने या बैंक से मण्डी समिति की ओर से जारी किए गए चैक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

47. खजाने या बैंक में रूपया भिजवाना - सरकारी खजाने में बैंक को भेजी जाने वाली राशियों के दुहरी पर्त में (in duplicate) चालान या जमा कराने की पर्ची होगी। हिसाब के मासिक या सामयिक नक्शे जो खजाना या बैंक भेजे वे नियमिति रूप से फाइल किये जायेंगे और परीक्षण के लिए उपलब्ध किए जायेंगे।

48. पास-बुक - खजाने, उप-खजाने या बैंक द्वारा जो मूल हिसाब रहता हो, अन्तिम तिथि (up-to-date) कम से कम महीने में एक दफा पास बुक भरवाई जायेगी।

49. बजट प्रेषित करना - (1) मण्डी वर्ष पहली अप्रेल को प्रारम्भ होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा।

(2) हर साल जनवरी के प्रथम सप्ताह में आगामी वर्ष के लिये मण्डी समिति की आय और व्यय का बजट बनाने के लिए मण्डी समिति अपनी बैठक करेगी। बजट निदेशक को या उसके द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी को अनुमोदन के लिए 15 जनवरी तक प्रेषित किया जाएगा और गत वर्ष की आय और व्यय का संक्षिप्त हिसाब 30 अप्रेल तक निदेशक या उक्त किसी अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(3) जब किसी व्यय के लिए बजट में प्रावधान नहीं हो तो तब उसके लिए कोई खर्चा नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्य मदों की बचत में से या उपलब्ध रिजर्व में से दी गई रकम (Supplimentary) द्वारा से उसे पूरा नहीं किया जा सकता हो, जिसकी स्वीकृति मण्डी समिति की बैठक में सर्व सम्मति से होनी चाहिए और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए।

50. निर्माण कार्य बजट में सम्मिलित किये जायेंगे - कोई निर्माण कार्य जिसके लिए खर्चे का अनुमानिक (forecasted) तकमीना (estimate) बोर्ड द्वारा नियुक्त इन्जीनियर (अभियन्ता) ने नहीं बनाया हो और न मंजूर किया हो, बजट में शामिल नहीं किया जाएगा।

51. (XXX)

52. निर्माण कार्य बनाना - मण्डी समिति द्वारा साथ में लिए जाने वाले सारे कार्य बोर्ड द्वारा ऐसे तरीके से करवाये जायेंगे जो बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे:

परन्तु राज्य सरकार मण्डी समिति को आठ लाख रूपये की सीमा तक के निर्माण व मरम्मत कार्य करने के लिये अधिकृत कर सकेगी:

आगे शर्त यह भी है कि निर्माण करने से पूर्व एवं कार्यों से विस्तृत तकमीने और नक्शे बोर्ड द्वारा नियुक्त इन्जीनियर द्वारा अनुमोदित होंगे:

53. स्थाई निधियाँ - (1) प्रत्येक मण्डी वर्ष की समाप्ति पर मण्डी समिति निधि की शेष राशि, प्रत्येक मण्डी वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के भीतर मण्डी समिति की स्थाई निधि में जमा करा दी जाएगी जिसका उपयोग केवल स्थायित्व रखने वाले खर्चों के लिए किया जाएगा, जैसे कि भवनों का निर्माण, भूमि के अधिग्रहण या खरीद के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो निदेशक बतावें।

(2) मण्डी समिति अपने निधि की शेष राशियां निम्नलिखितों में जमा करा सकेगी-

(ए) सरकारी बचत खाते में, या

(बी) निदेशक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक या व्यक्ति के पास जो बैकिंग का धन्धा करता हो, या

(सी) राष्ट्रीय बचत बॉन्डों या प्रमाण पत्रों में, या

(डी) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम 18) की धारा 20 में उल्लेखित किसी सिक्योरिटी में :

परन्तु शर्त यह है कि अचल सम्पत्ति के बन्धक पर कोई धनराशी नहीं लगाई जाएगी इस प्रकार के जमाशुदा रकम ब्याज सहित निदेशक की अनुमति बिना वापस नहीं उठाई जाएगी।

54. वार्षिक रिपोर्ट - प्रत्येक मण्डी वर्ष की समाप्ति पर मण्डी समिति एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां निदेशक तथा निदेशक द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी को प्रेषित करेगी।

55. हिसाब, परीक्षण (Audit) तथा निरीक्षण - (1) मण्डी समिति के हिसाब और रेकार्ड उस तरीके से रखे जायेंगे जैसा कि सरकार निदेशन करे।

(2) मण्डी समिति के हिसाब का परीक्षण ऐसे परीक्षकों (Auditors) द्वारा किया जाएगा जिनकी नियुक्ति सरकार बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर करे।

(3) हिसाब परीक्षण (Audit) के समय परीक्षण के प्रयोजन के लिए, परीक्षण अधिकारी द्वारा मांगे गए समस्त हिसाब पंजिकायें, दस्तावेजात तथा अन्य सारभूत कागजात, सैक्रेटरी या इस कार्य के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति प्रस्तुत करवाएगा। किसी खामी (त्रुटि) को तय करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा मांगा गया कोई स्पष्टीकरण भी उसे तुरन्त दिया जायेगा।

(4) परीक्षा टिप्पणियों (Audit Memoranda) का निरीक्षण मण्डी समिति के सदस्य व्यापारी, लाइसेन्सधारी या आम जनता द्वारा नि:शुल्क बोर्ड के सैक्रेटरी के कार्यालय में या बोर्ड के सैक्रेटरी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर किया जा सकेगा और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि कोई भी व्यक्ति कथित कार्यालय से 25 पैसा प्रति पृष्ठ अदा करने पर प्राप्त कर सकेगा।

भाग 4 (ए)

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड

55. (ए) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों का चुनाव - (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा राज्य को दस एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार से विभाजित करेग कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम पांच मण्डी समितियां सम्मिलित हो जावें ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मण्डी समितियों के अध्यक्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य का चुनाव करने में समर्थ हो सकें।

(2) राज्य सरकार, राज्य की मण्डी समितियों के सैक्रेटरियों को प्रत्येक मण्डी समिति के अध्यक्षों के नाम और मण्डी समितियों के व्यापारी समितियों के नाम भी भेजने के लिए कहेगी और उक्त सूचना प्राप्त होने पर, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्षों की सूची और व्यापारी सदस्यों की सूची भी बनवाई जायेगी और नियम 8 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार उसका प्रकाशन किया जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में राज्य सरकार मण्डी समितियों के अध्यक्षों में से बोर्ड के सदस्यों के चुनाव हेतु स्थान निश्चित करेगी, और जिस स्थान पर चुनाव होने हों या उस जिले का कलक्टर चुनाव का संचालन कथित नियमों के नियम 9 से 24 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार करायेगा:

परन्तु शर्त यह है कि मण्डी समिति के व्यापारी सदस्यों में से दो सदस्यों का चुनाव राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के मुख्यालय पर होगा और चुनाव कथित नियमों के नियम 9 से 24 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार संचालित होगा।

(4) इन चुनावों के संबंध में किए गए सब खर्चों का भुगतान मण्डी विकास निधि में से किया जा सकेगा।

55. (बी) चुनाव की वैधता निश्चित करना - (1) यदि कोई व्यक्ति जो संबंधित चुनाव में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बोर्ड के किसी सदस्य के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देना चाहे तो वह निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तिथि के पश्चात् सात दिन के भीतर राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार, आवेदन की सुनवाई का अवसर करने के पश्चात् और जैसी जांच वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात् चुनाव के घोषित परिणाम को पुष्टि करने या उसको संशोधन करने या चुनाव को निरस्त करने का आदेश देगी, और ऐसा आदेश अन्तिम होगा। यदि राज्य सरकार निर्वाचन निरस्त कर दे तो ताजा चुनाव कराने के लिए तिथि तुरन्त निश्चित की जाएगी और चुनाव के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

55. (सी) बोर्ड के बजट और बचत राशियों को लगाना तथा हिसाब रखना - (1) प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक बोर्ड आगामी मण्डी वर्ष के लिए बजट पास करेगा। जिसमें विविध मदों पर होने वाली अनुमानित आय और व्यय बताया जायेगा और उसे राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित वृत्तांत से पुष्टि करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(2) सिवाय उस दशा में जबकि सरकार बोर्ड के आवेदन पर या अन्यथा निदेशन दे, बोर्ड द्वारा प्रदत्त समस्त राशियां, एक निधि में जमा कराई जायेंगी जिसे राज्य विपणन विकास निधि (State Marketing Development Fund) कहा जायेगा। विपणन विकास निधि में अदा कराई हुई समस्त राशियां कम से कम एक सप्ताह में एक दफा पूरी इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बैंक में जमा कराई जायेगी। इस निधि की तमाम बची हुई राशियां उक्त बैंक में रखी जायेंगी और उनको सिवाय इन नियमों के अनुसार वापस उठाई नहीं जायेंगी।

(3) बोर्ड के हिसाब निर्धारित रीति से रखे जायेंगे और वे सरकार के निदेशानुसार परीक्षण (Audit) के अधीनस्थ रहेंगे।

(4) बोर्ड की ओर से जारी किए गए प्रत्येक चैक पर सैक्रेटरी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। चैक ऐसे बिल के भुगतान के लिए होंगे जिसकी जांच सैक्रेटरी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी ने कर ली हो और पास कर दिया हो।

55. (डी) सैक्रेटरी के अधिकार तथा कार्य -

बोर्ड का सैक्रेटरी -

(ए) अध्यक्ष के आदेश के अधीन बोर्ड अथवा उनकी उप-समितियों की बैठकों के लिए नोटिस जारी करेगा,

(बी) उक्त बैठकों में उपस्थित रहेगा और उसकी कार्यवाही को रिकार्ड करेगा और उनको सुरक्षित रखेगा,

(सी) बोर्ड व उप समितियों के निर्णयों का पालन करेगा,

(डी) रकमें उठाने तथा वितरित करने वाले अधिकारी के रूप में कार्य करेगा,

(ई) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम या नियमों द्वारा उसको प्रदत्त की गई हों या आरोपित की गई हो अथवा बोर्ड द्वारा उनको समर्पित की गई हो।

भाग - 5

मण्डी यार्ड तथा खास मण्डी

56. मण्डी यार्ड तथा खास मण्डी की घोषणा -

राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के जरिये -

(ए) किसी मण्डी क्षेत्र में किसी अहाते, भवन या स्थान को मण्डी यार्ड घोषित कर सकेगी,

(बी) किसी क्षेत्र को, जो मण्डी यार्ड से उतनी दूरी के भीतर हो जैसा कि वह उचित समझे, सारी भूमि और उस पर स्थित भवनों को खास मण्डी होना घोषित कर सकेगी :

परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार से घोषित खास मण्डी के कथित क्षेत्र में स्थित औघोगिक प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे जिसके साथ उनके अहाते, गोदाम, भण्डार गृह भी होंगे जहां कृषि उपज का स्टोर रखा जाता हो।

56-क. प्राइवेट उपमण्डी यार्ड या प्राइवेट उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना - (1) कृषक मण्डी की स्थापना - किसी सहकारी सोसाइटी सहित कोई भी व्यक्ति प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड या प्राइवेट उपभौक्ता-कृषक मण्डी की स्थापना के लिए निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी को प्ररूप 12 में आवेदन कर सकेगा।

(2) प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि पाँच हेक्टर होगी और प्राइवेट उपभोक्ता-कृषक मण्डी के लिए दो हेक्टर होगी। भूमि आवेदक के नाम होनी चाहिए :

परन्तु निदेशक की सिफारिश पर राज्य सरकार, यदि इसका समाधान हो जाये कि प्राइवेट मण्डी यार्ड की स्थापना से कृषि उत्पाद के विक्रय और क्रय का प्रभावी किसी विशिष्ट अवस्थान में और उत्तम विनियमन होगा, भूमि के न्यूनतम क्षेत्र की अपेक्षा में छूट दे सकेगी।

(3) आवेदक ऐसी अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।

(4) निदेशक या सशक्त प्राधिकारी प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड या प्राइवेट उपभोक्ता-कृषक मण्डी की स्थापना के लिऐ प्ररूप 13 में अनुज्ञप्ति दे सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित सभी निबंधनों और शर्तों द्वारा बाध्य होगा।

(5) मण्डी समिति, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, प्राइवेट उप-मण्डी के अनुज्ञप्तिधारियों/व्यापारियों से मण्डी फीस का संग्रहण करेगी और प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड के अनुज्ञप्तिधारी को मण्डी फीस में से ऐसे भाग का संदाय करेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) धारा 5 की उपधारा (2) के अध्यधीन रहते हुए, प्राइवेट उपभोक्ता-कृषक मण्डी का अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं से ऐसी दरों पर जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, सेवा प्रभार का संग्रहण करेगा।

(7) प्राइवेट उपभोक्ता कृषक मण्डी के विक्रेता एक बार में किसी उपभोक्ता को अपना उत्पाद उस मात्रा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, से अधिक मात्रा में विक्रीत नहीं करेगा।

(8) उत्पादक, प्राइवेट उपभोक्ता कृषक मण्डी में अपना उत्पाद उपभोक्ता को परस्पर सहमत मूल्य पर सीधे विक्रीत करेगा।

56-ख. प्राइवेट उप ई-मण्डी - (1) प्राइवेट उप-ई-मण्डी की स्थापना के लिए किसी सहकारी सोसाइटी या किसी कम्पनी सहित कोई भी व्यक्ति प्रपत्र 18 में निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। आवेदक फीस का और ऐसी रीति से संदाय करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये। आवेदन फीस अप्रतिदेय होगी।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित के ब्यौरे होंगे :-

(क) पिछले तीन निर्धारण वर्षों की आकार विवरणियों द्वारा समर्थित आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति या स्थायी आस्तियाँ जिनका मूल्यांकन किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया हो ;

(ख) स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित व्यापार टर्मिनल के अवस्थान ;

(ग) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, भण्डारकरण की स्थापना सहित क्रय/विक्रय के लिए और मूल्यवर्धन द्वारा कृषि उपज के विक्रय/निर्यात के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु खर्च किये जाने के लिए प्रस्तावित रकम ;

(घ) उत्पादकों जो प्राइवेट उप ई-मण्डी में उत्पाद लाते हैं, के लिए वासा और बोर्डिंग जैसी सुविधाएं, यदि कोई हो उपलब्ध कराने के लिए निश्चित परिव्यय और ;

(ङ) कृषि उपज की किस्म का मूल्यांकन और अवधारण करने के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं।

(3) प्राइवेट उप ई-मण्डी की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रपत्र 19 में रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

(4) प्रत्येक आवेदक के पास -

(i) ऑन- लाईन व्यापार पर्याप्त क्लीयरिंग सुविधाएं ;

(ii) राष्ट्रीय स्तर की परिनिर्धारण और गारंटी प्रणाली ;

(iii) भली-भांति संगठित और पूंजीकृत दलाल-गृह जहाँ सदस्य/दलाल युक्तियुक्त पूंजी-पर्याप्तता के साथ भाग ले सके ;

(iv) अपने प्रचालन और निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु तंत्र और ;

(v) कृषि उपज मंडियों में कार्यकरण अनुभव।

(5) निदेशक या राज्य सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर तीस दिन की अवधि में आवेदन का मूल्यांकन करेगा और समाधान होने के पश्चात् निदेशक, या राज्य सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी आवेदक को अनुज्ञप्ति फीस, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, निदेशक या राज्य सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी के पक्ष में जयपुर में संदेय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा 30 दिन की अवधि में जमा कराने के लिए सूचित करेगा। अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त होने पर निदेशक या राज्य सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी प्रपत्र 20 में अनुज्ञप्ति, ऐेसी शर्तों सहित, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के जारी कर सकेगा, जो आवेदन करने और ऐसी नवीकरण फीस जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, का संदाय करने पर एक बार में 5 वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी। नवीकरण के लिए आवेदन सादा कागज पर किया जायेगा। इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति प्रपत्र 21 में रजिस्टर में दर्ज की जायेगी।

(6) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति देने की तारीख से एक माह के भीतर या कारोबार प्रारम्भ करने से पूर्व जो भी पहले हो, निदेशक के पक्ष में 25 लाख रूपये (पच्चीस लाख रूपये) की बैंक गारण्टी जमा करायी जायेगी।

(7) अनुज्ञप्तिधारी बैंक गारण्टी देने के पश्चात् प्राइवेट उप ई-मण्डी में सक्रिय प्रारम्भ कर सकेगा।

(8) प्राइवेट उप ई-मण्डी का अनुज्ञप्तिधारी -

(i) प्रमुख अवस्थानों पर ऑन-लाइन व्यापार के लिए एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में व्यापार टर्मिनल स्थापित करेगा जो कृषकों की सुगम पहुँच में हों ;

(ii) अपने व्यापार टर्मिनल और वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपजों से संबंधित वास्तविक समय मूल्य और व्यापार से संबंधित सूचना उपलब्ध करायेगा ;

(iii) भाण्डागारण, तुलाई, श्रेणीकरण और वर्गीकरण के लिए तथा स्वच्छता और फाइटों स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं करेगा ;

(iv) स्वयं के लिए अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय या क्रय नहीं करेगा ;

(v) भाण्डागार की रसीद के प्रति सांपर्श्विक वित्तपोषण और उधार को सुकर बनायेगा ;

(vi) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 15 घ के उपबन्ध के अनुसार उपज विक्रेता को अधिसूचित कृषि उपज का संदाय उसी दिन

किया जाये। विक्रीत कृषि उपज का परिदान उपज विक्रेता को मूल्य के पूर्ण संदाय के पश्चात् ही किया जायेगा। क्रेता द्वारा कोट किया मूल्य उपज विक्रेता को शुद्ध संदेय होगा, मण्डी फीस, दलाली प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे, क्रेता द्वारा कोई भी व्यतिक्रम किये जाने पर भी, प्राइवेट उप ई-मण्डी का अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 15 घ के उपबंधों के अनुसार कडाई से संदाय सुनिश्चित करेगा ;

(vii) मण्डी फीस का संग्रहण करेगा और किये गये कृषि उपज संव्यवहार के विवरणों सहित उसको मण्डी समिति के पास जमा करायेगा ;

(viii) व्यवस्थापन गारंटी निधि, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय विनिर्दिष्ट की जाये, रखेगा और सुगम व्यवस्थापन सुनिश्चित करने के लिए समुचित जोखिम प्रबन्ध प्रणाली अपनायेगा ;

(ix) अपने प्लेटफार्म पर निष्पादित संविदाओं के पालन की गारंटी देना ;

(x) अपने पदाभिहित भाण्डागारों में अधिसूचित कृषि उपजों के परिदानों की क्षेत्रवार मासिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा। वह मण्डी फीस संदत्त मालों/कृषि उपज (जहाँ पदाभिहित भण्डागारों में इसके परिदान के पूर्व मण्डी फीस का संदाय पहले ही कर दिया गया था) के परिदानों और ऐसे परिदानों, जहाँ इसका व्यापार प्राइवेट उप ई-मण्डी के प्लेटफार्म पर पहली बार किया गया हो, के पृथक आंकडे भी देगा।

(xi) कृषि उपज के विक्रय, जिसके लिए मण्डी फीस का संदाय पूर्व में नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार क्रेता से मण्डी फीस का संग्रहण करेगा ;

(xii) उसके द्वारा संगृहीत मण्डी फीस का संदाय, अधिनियम, नियमों, उपविधियों के उपबंधों के अनुसार सम्बन्धित मण्डी समिति को करेगा।

(9) कृषि उपज जिसका व्यापार उसके प्लेटफार्म पर किया जाये, के विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू, बट्टे और प्रीमियम सहित, किस्म पैरामीटरों, श्रेणीकरण, पेकिंग मानकों और पदायों से सम्बन्धित सभी निबन्धन, किसी भी उपज के व्यापार के पूर्व, प्राइवेट उप ई-मण्डी द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये जायेंगे। प्राइवेट उप ई-मण्डी में जिस अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार किया जाना है, उसका आकार और श्रेणी निदेशक, या निदेशक द्वारा सशक्त प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(10) प्राइवेट उप-ई-मण्डी में अपनी उपज का विक्रय करने के लिए कृषक का प्राइवेट उप-ई-मण्डी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

(11) प्राइवेट उप-ई-मण्डी का अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यता, कृषकों या उनके समूहों, सहकारी सोसाइटियों या कम्पनियों सहित सभी को उपलब्ध है। वह कृषकों से भिन्न उनके कृत्यकारियों के लिए सदस्यता फीस, प्रतिभूमि निक्षेप, वार्षिक चंदा, पार्श्विक धनराशी और अन्य प्रभार नियत और प्रभारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा ;

परन्तु कृषकों से सदस्यता फीस या कोई भी अन्य फीस या प्रभार निदेशक के अनुमोदन से नियत किये जायेंगे।

(12) प्राइवेट उप-ई-मण्डी के सभी सदस्य अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए, प्राइवेट उप-ई-मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञा से, अपने उप-दलाल या फ्रेन्चाइज नियुक्त कर सकेंगे।

(13) प्राइवेट उप-ई-मण्डी के सदस्यों के कर्त्तव्य और अधिकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

(14) कृषक प्राइवेट उप-ई-मण्डी द्वारा पदाभिहित भाण्डागार में भौतिक परिदान करेंगे जहाँ श्रेणीकरण और किस्म प्रमाणीकरण किया जायेगा और कृषक को भाण्डागार रसीद दी जायेगी। श्रेणीकरण, किस्म प्रमाणीकरण, उतराई, बोरियों में भरण और तुला पर लदान के प्रभार कृषि उपज के विक्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।

(15) कृषि उपज का उपापन और निपटारा ऑन-लाइन व्यापार के माध्यम से किया जायेगा और देशभर के ग्राहक और उत्पादक प्राइवेट उप-ई-मण्डी के सदस्यों के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक व्यापार में भाग ले सकते हैं। प्राइवेट उप-ई-मण्डी में विक्रीत कृषि उपज अधिनियम द्वारा विनियमित की जायेगी।

(16) अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपज पर मण्डी फीस के संदाय के बारे में, अपने भाण्डागार से परिदान के समय, उपबंध 22 के अनुसार एक प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र उपज ले जा रहे यान के साथ रखा जायेगा। प्राइवेट उप-ई-मण्डी ऐसे प्रमाण पत्र के निगर्म और समर्थक साक्ष्य का पूर्ण अभिलेख रखेगी जिसका निदेशक द्वारा किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है। ऐसा प्रमाण पत्र मण्डी फीस के संदाय का पर्याप्त सबूत होगा।

(17) प्राइवेट उप-ई-मण्डी के भाण्डागार में पडी मण्डी फीस संदत्त कृषि उपज के विक्रय/पुनविक्रय पर कोई मण्डी फीस संदेय नहीं होगी।

(18) निदेशक या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक/सहायक निदेशक या सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव को प्राइवेट उप-ई-मण्डी के भाण्डागारों और परिदान केन्द्रों का निरीक्षण करने और ऐसी सूचना जो वह आवश्यक समझे, मांगने का अधिकार होगा।

(19) कृषकों और प्राइवेट उप-ई-मण्डी के प्रबन्ध या मण्डी कृत्यकारियों के बीच का विवाद इसके उत्पन्न होने के 30 दिन की अवधि के भीतर कृषि विपणन सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक/सहायक निदेशक को निर्दिष्ट सम्बन्धित उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा पक्षकारों को सुनने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का संक्षिप्त रीति से निपटारा 30 दिन के भीतर किया जायेगा और विनिश्चिय से व्यथित कोई भी पक्षकार निदेशक को अपील कर सकेगा।

(20) कोई भी व्यक्ति, जो इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, ऐसे दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(21) नियम 56-क के सिवाय इन नियमों के अन्य उपबन्ध, इस नियम में अन्यथा उपबंधित को छोडकर, प्राइवेट उप-ई-मण्डी में की संक्रियाओं को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

57. मण्डी यार्ड का नियन्त्रण तथा संरक्षण - (1) मण्डी समिति एक या अधिक मण्डी यार्ड जैसा कि ऊपर वाले नियम के अधीन घोषित किया जावे रखेगी। इन नियमों के तथा सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीनस्थ और इन नियमों द्वारा या किसी अन्य कानून द्वारा जो स्थान कलक्टर या निदेशक, या नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड या ग्राम पंचायत के अधीनस्थ या नियन्त्रण में थे उन स्थानों को मण्डी समिति सदैव कृषि उपज के व्यापार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, और जिस प्रयोजन के लिए उनको मण्डी समिति के नियन्त्रण में दिया गया है इसका ख्याल रखते हुए, मण्डी यार्डों की व्यवस्था व्यापार के सर्वाधिक हित में करेगी। मण्डी समिति द्वारा तय किये गये समय में बिक्री के इरादे से आई कृषि उपज की गाडियां या भेजा गया माल या ट्रक मण्डी यार्ड में ऐसे तरीके से व ऐसे समय पर एकत्रित होंगे जैसा कि अनुज्ञ हो और उसका आना व जाना ऐसे व्यक्तियों व ऐसे समय के लिए अनुज्ञ किया जा सकेगा जैसा मण्डी समिति उचित समझे।

(2) खास मण्डी तथा मण्डी क्षेत्र में मण्डी समिति केवल उतने अधिकारों का प्रयोग करेगी जो मण्डी के सुविधाजनक नियन्त्रण के लिये मण्डी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा और आराम के लिए तथा जो उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार शुल्क वसूल करने के लिये आवश्यक हो।

(3) (ए) मण्डी क्षेत्र में स्थित किसी औघोगिक प्रतिष्ठान के मालिक या व्यवस्थापक से उन तमाम कृषि उपजों के विषय में मण्डी समिति ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगी जिनके लिए मण्डी की स्थापना हुई है और जिनका कारोबार या उपयोग उक्त औघोगिक प्रतिष्ठान में होता है व जो समिति को मण्डी पर नियन्त्रण रखने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(बी) जिस मालिक या व्यवस्थापक से इस प्रकार जानकारी देने की अपेक्षा की गई हो उसे मांग की तिथि से एक पखवाडे के भीतर, निदेशक के समक्ष उक्त मांग के विरूद्ध अपील करने का हक होगा और उस मामले में निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

57-क. संविदा खेती - (1) संविदा खेती क्रेता प्ररूप-13 में रजिस्ट्रीकरण के लिये उस मण्डी समिति को आवेदन करेगा, जिसके क्षेत्र में वह संविदा खेती करार करना चाहता है।

(2) मण्डी समिति तब ऐसे व्यक्ति को संविदा खेती क्रेता के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी।

(3) संविदा खेती करार प्ररूप-14 में होगा।

(4) संविदा खेती क्रेता संविदा खेती करार को उस मण्डी समिति के पास रजिस्ट्रीकरण करायेगा, जिसके क्षेत्र में संविदा खेती उत्पादक की भूमि अवस्थित है।

(5) करार रूपये 100/- के मूल्य के स्टाम्प पेपर पर लिखा जायेगा।

(6) प्रत्येक संविदा खेती उतपदक के लिये अलग करार किया जायेगा। किसी एक संविदा खेती उत्पादक के मामले में, जिसके पास विभिन्न मण्डी समितियों के क्षेत्र में आने वाले एक से अधिक फार्म हों, तो प्रत्येक फार्म के लिये अलग करार किया जायेगा।

(7) करार एक मौसम के लिये या एक वर्ष के लिये हो सकेगा, लेकिन 5 वर्ष से अधिक के लिये नहीं होगा। पेडों की लम्बी अवधि की फसल के मामले में, करार उस समयावधि के लिये हो सकेगा, जिसके लिये पक्षकार आपस में सहमत हों।

(8) करार, प्ररूप-15 में रजिस्ट्रीकरण प्ररूप के साथ मण्डी समिति के समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिये पेश किया जायेगा।

(9) प्रत्येक करार के लिये अलग रजिस्ट्रीकरण प्ररूप भरा जायेगा।

(10) मण्डी समिति करार का रजिस्ट्रीकरण करेगी तथा प्ररूप-16 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

(11) मण्डी समिति प्रत्येक करार के लिये रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में रूपये 10/- प्रभारित करेगी।

(12) मण्डी समिति करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्ररूप-17 में एक रजिस्टर संधारित करेगी।

(13) संविदा खेती क्रेता राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 तथा सम्बन्धित मण्डी समिति के उप-नियमों के सभी उपबंधों का पालन करेगा।

(14) संविदा खेती करार तब तक प्रभाव में नहीं आयेगा, जब तक कि संविदा खेती क्रेता करार राशी का ऐसा भाग, जो आपस में तय हो, संविदा खेती उत्पादक को अदा नहीं कर देवें।

(15) करार मूल्य सम्बन्धित मण्डी समिति में पूर्व फसली मौसम के दौरान संविदाकृत कृषि उपज के प्रतिमान मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो भी अधिक हो, से अधिक होगा।

नोट - इस नियम के प्रयोजन के लिये प्रतिमान मूल्य से वह मूल्य आशयित होगा, जिस पर अधिकतम संव्यवहार (विक्रय एवं क्रय) होते है।

(16) संविदा करार में संविदा खेती उत्पादक पर कोई शास्ति लगाये जाने का प्रावधान नहीं होगा, यदि वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण संविदा करार में उल्लेखित संविदाकृत कृषि उपज का प्रदाय करने में विफल रहता हो।

(17) यदि संविदा खेती क्रेता, संविदा खेती उत्पादक से कृषि उपज की तय मात्रा क्रय करने में विफल रहे या उससे इन्कार करे, तो वह सम्बन्धित मण्डी समिति में संविदाकृत उपज के तय मूल्य एवं वास्तविक विक्रय मूल्य के अन्तर की राशी उत्पादक को अदा करेगा।

(18) संविदा खेती क्रेता द्वारा संविदाकृत उपज क्रय करने से इन्कार करने की स्थिति में उसे सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा नीलामी के द्वारा विक्रय किया जायेगा तथा राशी संविदा खेती उत्पादक को अदा की जायेगी।

(19) संविदा खेती क्रेता संविदाकृत राशी यानी संविदाकृत मात्रा से संविदाकृत मूल्य का गूणा करके प्राप्त प्रतिमान के 20 प्रतिशत के बराबर राशी का एक वचन-पत्र सम्बन्धित मण्डी समिति को देगा। संविदा खेती क्रेता द्वारा संविदाकृत उपज क्रय करने से इन्कार करने की स्थिति में संविदा खेती उत्पादक की क्षतिपूर्ति करने के लिये मण्डी, समिति द्वारा वचन-पत्र की राशी का उपयोग किया जा सकेगा। यदि तय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के मध्य का अन्तर संविदाकृत राशी के प्रतिमान के 20 प्रतिशत से अधिक हो, तो वह अन्तर राशी संविदा खेती उत्पादक का अन्तर राशी का दावा करने के 15 दिन के भीतर संविदा खेती क्रेता द्वारा देय होगी।

(20) यदि संविदा खेती उत्पादक करार में यथानिर्दिष्ट कृषि उपज संविदा खेती क्रेता को उपलब्ध कराने में विफल रहे या उससे इन्कार करे, तो वह तय मूल्य तथा सम्बन्धित मण्डी समिति में प्रदाय के करार की अवधि के दौरान संविदाकृत उपज के औसत मूल्य के मध्य की अन्तर राशी का संदाय क्रेता को करने के लिये दायी होगा।

(21) संविदाकृत कृषि उपज के लिये मण्डी फीस का संदाय अधिनियम की धारा 17 के अधीन यथा अधिसूचित दरों पर संविदा खेती क्रेता द्वारा किया जायेगा। वह तारीख, जिस पर संविदाकृत कृषि उपज का संविदा खेती क्रेता को पूर्णत: या भागत: प्रदाय किया जाये, विक्रय की तारीख समझी जायेगी। किसी माह के दौरान किये गये क्रय पर देय मण्डी फीस का संदाय संविदा खेती क्रेता द्वारा अगले माह की 7 तारीख तक डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा मण्डी समिति को किया जायेगा। वह निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में मण्डी फीस का ब्यौरा भी देगा। यदि संविदा खेती क्रेता ऊपर कथित समयावधि के भीतर मण्डी फीस जमा करने में विफल रहे, तो वह प्रथम 3 महीनों के भीतर देय मण्डी फीस पर प्रतिमाह या उसके किसी भाग पर 2 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क सहित तथा उसके पश्चात् देय मण्डी फीस पर प्रतिमाह या उसके किसी भाग पर 3 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क सहित मण्डी फीस का संदाय वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर सकेगा। यदि संविदा खेती क्रेता ऊपर विहित समय में मण्डी फीस एवं विलम्ब शुल्क जमा करने में विफल रहे, तो मण्डी समिति संविदा खेती क्रेता के विरूद्ध अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों/उप-नियमों के उपबंधों के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करेगी तथा मण्डी फीस के देय होने की तारीख से वसूली होने तक 3 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज सहित बकाया राशी वसूली की जायेगी।

भाग - 6

कर एवं फीसों को लागू करना और वसूली

58. मण्डी शुल्क - (1) मण्डी समिति, मण्डी क्षेत्र में क्रय तथा विक्रय की गई कृषि उपज पर विज्ञप्ति के जरिये सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों से, शुल्क वसूल करेगी।

''परन्तु किसी भी ऐसी अधिसूचित कृषि उपज पर कोई फीस उदगृहीत नहीं की जायेगी जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में फीस उदगृहीत कर लगायी हो यदि ऐसी अधिसूचित उपज को खरीदने या बेचने वाला व्यक्ति प्रारूप XI में विहित रीति से यह घोषणा प्रस्तुत कर दे कि अधिसूचित कृषि उपज पर राज्य के किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में फीस पहले ही उदगृहीत कर ली गई है।''

स्पष्टीकरण - (ए) इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी मण्डी क्षेत्र में किसी उपज का विक्रय करना समझा जायेगा। यदि विक्रय के प्रयोजनार्थ उसका मण्डी क्षेत्र में किसी लाईसेन्सधारी तोलने वाले, मापे वाले या सर्वेक्षण ने तोला, मापा या सर्वेक्षण किया हो, चाहे उक्त बेचान के कारण कृषि उपज की सम्पत्ति मण्डी क्षेत्र के बाहर कि किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित हो गई हो।

(बी) तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ, समस्त अधिसूचना कृषि उपज जो मण्डी क्षेत्र से बाहर ले जाई गई हो या ले जानी हो, जब तक की इसके विपरीत साबित न की जाये, उसका क्रय तथा विक्रय मण्डी क्षेत्र में होना माना जायेगा।

(2) मण्डी क्षेत्र में क्रय या विक्रय की गई कृषि उपज पर, उप नियम (1) के अनुसार लागू किया गया शुल्क एक बार से अधिक नहीं लगाया जायेगा।

(3) मण्डी समिति, उप-नियमों (उप-विधियों) के प्रावधानुसार, मण्डी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारियों, दलालों, तोलने वालों, मापने वाले सर्वेक्षकों, भण्डारीकरण वालों तथा अन्य व्यक्तियों पर लार्इसेन्स फीस भी लागू करेगी और वसूल करेगी।

(4) (विलोपित)

59. उपकर एवं शुल्क की वसूली - (1) कृषि उपज पर लगने वाला उपकर, जैसे ही उपज विपणन क्षेत्र में लाई एवं बेची जाये, जैसा कि उप-विधि में निर्देशित हो, तुरन्त भुगतान योग्य होगा।

(2) विपणन शुल्क, क्रयकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रकार से संदेय किया जायेगा-

(i) यदि विनिर्दिष्ट उपज 'क' वर्ग के दलाल के मार्फत बेची जाती है, तो 'क' वर्ग का दलाल क्रयकर्ता से विपणन शुल्क प्राप्त करेगा और उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उस राशी को विपणन समिति में जमा करायेगा।

(ii) यदि विनिर्दिष्ट कृषि उपज 'क' वर्ग के दलाल के मार्फत बेची नहीं जाती, तो विक्रयकर्ता विपणन शुल्क क्रयकर्ता से प्राप्त करेगा और उसे विपणन समिति में, उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, जमा करायेगा।

(iii) विक्रय कर्ता के लाइसेन्सी नहीं होने के मामले में, उपविधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, क्रयकर्ता द्वारा विपणन शुल्क जमा करायेगा।

स्पष्टीकरण - शब्द "क्रयकर्ता" से तात्पर्य है कि एक व्यापारी या दलाल या अन्य कोई आपरेटर में सम्मिलित है, जिससे कि विपणन क्षेत्र में कृषि उपज क्रय करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है।

(3) [X X X]

(4) लाइसेन्स फीस लाइसेन्स के आवेदन के साथ अदा की जायेगी, परन्तु यदि मण्डी समिति लाइसेन्स प्रदान करने से इन्कार कर दे तो प्राप्त की गई फीस आवेदक को वापिस लौटा दी जाएगी।

(5) अधिसूचित कृषि उपज के विषय में आंकडे और विपणन संबंधी जानकारी एकत्रित करने और चन्दा देने वालों को पहुंचाने के लिए मण्डी समिति चन्दा लागू कर सकेगी।

60. रसीद - (1) मण्डी समिति एक पंजिका रखेगी जिसमें वसूल की गई फीस उल्लेखित की जायेगी। इन नियमों या उपनियमों के अधीन वसूल की गई फीस के लिये प्रत्येक जमा कराने वाले को रसीद दी जायेगी, जिस पर मण्डी समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो मण्डी समिति द्वारा फीस वसूल करने के लिए प्राधिकृत हो, फीस अदा करने वाले को रसीद देगा और इस प्रकार से प्रदत्त रसीदों की परत रखेगा और वह एक दिन में कम से कम एक दफा मण्डी समिति द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को तमाम रसीदों का हिसाब देगा।

61. फीस की वसूली - फीस की वसूली का तरीका मण्डी समिति उप नियमों द्वारा निर्धारित करेगी।

62. जमानत - मण्डी समिति उन कर्मचारियों से जिनको धनराशी के लेन-देन का काम सुपुर्द किया हुआ है, जितनी उचित समझे उतनी जमानत लेगी।

भाग - 6 क

एकाधिक मण्डी क्षेत्र के लिए विशेष अनुज्ञप्ति

63. विशेष अनुज्ञप्ति की मंजूरी - (1) इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, निदेशक द्वारा जारी कोई विशेष अनुमति रखने वाला कोई भी व्यक्ति एकाधिक मण्डी क्षेत्रों में कृषि उपज के व्यापारी या प्रसंस्करणकर्ता के रूप में कारोबार कर सकेगा।

(2) विशेष अनुज्ञप्ति एकाधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार करने के लिए किसी व्यक्ति को इस शर्त के अध्यधीन जारी की जा सकेगी कि किसी वित्तीय वर्ष में वह उत्पादक से, निम्नलिखित कृषि उपजों में से एक या अधिक कृषि उपज इतनी न्यूनतम मात्रा में क्रय करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये :-

(क) तंतु;
(ख) दलहन और दालें;
(ग) लंग्युमस (फली);
(घ) तिलहन;
(ङ) फल, सब्जियाँ और फूल;
(च) मसाले;
(छ) वन उपज और;
(ज) प्रकीर्ण।

टिप्पणी - समस्त विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर किये गये क्रय को एक साथ जोडा जायेगा।

63-क. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन - (1) एकाधिक मण्डी क्षेत्र में प्रचालन के लिए विशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यापारी या प्रसंस्करणकर्ता प्ररूप 13 में ऐसी अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, आवेदन पत्र निदेशक को प्रस्तुत करेगा।

(2) विशेष अनुज्ञप्ति के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे :-

(i) आवेदन फीस के संदाय का सबूत या निदेशक के पक्ष में आहरित अपेक्षित रकम का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट ;

(ii) उन मण्डी क्षेत्रों की सूची जिनमें अधिसूचित कृषि उपज का क्रय किया जाना ईप्सित है और प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के सभी प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम/पिता का नाम भी, उनकी पदीय हैसियत सहित उपदर्शित किया जायें;

(iii) आवेदक द्वारा मण्डी क्षेत्र में धृत स्थावर सम्पत्ति की विशिष्टियाँ और उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियाँ ;

(iv) गत वर्ष के आयकर/वाणिज्यिक कर के संदाय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र और किसी चार्टर्ड लेखाकार द्‌वारा सम्यक्‌ रूप से संपरीक्षित विवरणियों, तुलनपत्रों और लेखाओं की फोटो प्रतियाँ ;

(v) प्ररूप 14 में घोषणा।

63-ख. अनुज्ञप्ति शुल्क - विशेष अनुज्ञप्ति के लिए शुल्क ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्‌वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये। शुल्क ऐसी मिति से जमा कराया जायेगा जो निदेशक द्‌वारा निदेशित की जाये।

63-ग. प्रतिभूति निक्षेप - (1) विशेष अनुज्ञप्ति मंजूर करने का विनिश्चय करने के पश्चात्‌ प्रतिभूति जो राज्य सरकार द्‌वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, अनुज्ञप्तिधारी द्‌वारा संदेय होगी। प्रतिभूति निक्षेप की रकम नकद या बैंक गारण्टी के रूप में होगी। बैंक गारण्टी, किसी ऐसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक द्‌वारा जारी की जानी चाहिए जिसकी शाखा-जयुपर (राजस्थान) में हो और बैंक गारण्टी उस अवधि के लिए होगी जिसके लिए विशेष अनुज्ञप्ति जारी की गयी है। तथापि राज्य सरकार के किसी उपक्रम के लिए प्रतिभूति की रकम का निक्षप करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे उपक्रम के लिए धारा 15 घ के उपबंधों के अधीन कृषि उपज के विक्रेताओं को संदाय करना आवश्यक होगा।

(2) आवेदक को, प्रतिभूति निक्षेप के निमित्त बैंक गारण्टी सहित, प्रारूप 16 में प्रतिभूति प्रमाण पत्र निदेशक को प्रस्तुत करना होगा।

63-घ. विशेष अनुज्ञप्ति की मंजूरी की प्रक्रिया - (1) निदेशक, विशेष अनुज्ञप्ति को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों की सम्बन्धित मण्डी समितियों के सचिवों से अदेयता/अनाक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(2) अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कमियों और/या त्रुटियों को पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को संसूचित किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र में की कमियाँ और/या त्रुटियाँ आवेदक द्‌वारा पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर पूर्ण की सुधारी नहीं जाती है तो ऐसा आवेदन पत्र स्वत: अस्वीकृत हो जायेगा और निदेशक द्‌वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) निदेशक, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी जाँच कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। तथापि निदेशक, कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्‌, ऐसे मण्डी क्षेत्रों/विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा।

(4) निदेशक, आवेदन पत्र की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, अन्तिम या विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप 25 क या प्ररूप 25 ख में क्रमश: मंजूर कर सकेगा उससे इन्कार कर सकेगा।

(5) विशेष अनुज्ञप्ति मुख्य मण्डी, जहाँ कोई मण्डी यार्ड या उप-मण्डी यार्ड या प्राइवेट उप-मण्डी यार्ड स्थित हैं, के भीतर कोई क्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए मंजूर नहीं की जायेगी।

(6) विशेष अनुज्ञप्ति किसी ऐसे स्थान पर क्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए मंजूर नहीं की जायेगी जो आवेदक के स्वामित्वाधीन किसी प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर के भीतर अवस्थित है। तथापि सब्जियों, फलों और फूलों के मामले में क्रय केन्द्र किसी प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर के भीतर स्थापित किया जा सकेगा।

(7) इस प्रकार मंजूर विशेष अनुज्ञप्ति केवल विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों के लिए और क्रय केन्द्रों पर, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है, विधिमान्य होगी :

परन्तु विशेष अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के मण्डी/उप-मण्डी यार्डों से अधिसूचित कृषि उपज का क्रय कर सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी विशेष अनुज्ञप्तिधारी को, अन्य अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की भाँति किसी पश्चात्वर्ती लेनदेन के अधीन अधिनियम नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार, अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(8) विशेष अनुज्ञप्तिधारी किसी विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अतिरिक्त क्रय केन्द्र स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा। निदेशक, ऐसी जाँच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् नियम 63-ग में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिभूति रकम जमा करा दिये जाने पर, ऐसा अतिरिक्त क्रय केन्द्र स्थापित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

63-ड. अनुज्ञप्ति की अवधि - (1) विशेष अनुज्ञप्ति उस अवधि के लिए जारी की जायेगी जिसके लिए विशेष अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है प्रारम्भ में अनंतिम अनुज्ञपित प्रारूप 25-क में एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जायेगी। इस अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सूविधाएं सृजित करेगा, अर्थात :-

(i) पर्याप्त इलेक्ट्रोनिक तोल सुविधाएं,

(ii) कृषकों के लिए पेयजल, प्रकाश, शौचालय सुविधाओं की उपयुक्त व्यवस्थाएं,

(iii) संदाय पटल,

(iv) वाहनों की पार्किंग के लिए उपयुक्त व्यवस्था,

(v) उपज की किस्म अर्थात आद्रता का प्रतिशत, विदेशी सामग्री, नुकसानशुदा अनाजों आदि के अवधारण के लिए आवश्यक सुविधाएं और प्रशिक्षित जनशक्ति।

(2) निदेशक द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय केन्द्र के निरीक्षण के पश्चात् अनंतिम अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति से दो माह पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाएं सृजित करने के बारे में निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाएं सृजित कर लिये जाने की दशा में शेष [X X X] वर्षों के लिए प्ररूप 25-ख में नियमित विशेष अनुज्ञप्ति जारी मंजूर की जायेगी।

63-च. प्रतिभूति का व्ययन - (1) विक्रेता को उसकी उपज के लिए संदेय कोई भी रकम या मण्डी समिति को संदेय कोई अन्य रकम, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति के रूप में दी गयी फिक्स डिपोजिट रसीद या बैंक गारण्टी से वसूल की जायेगी। इस प्रकार हुई कमी की पूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पन्द्रह दिन में की जायेगी जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की दायी होगी।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी अपनी विशेष अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करना चाहते है तो निदेशक, समुचित जाँच के पश्चात्, ऐसे निक्षिप्त प्रतिभूति रकम का प्रतिदाय करने या प्रतिदाय नहीं करने या आंशिक प्रतिदाय करने का विनिश्चत कर सकेगा।

63-छ. विशेष अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन - अनुज्ञप्तिधारी विशेष अनुज्ञप्ति की मूल प्रति अपने कारोबार मुख्यालय पर और उसकी अनुप्रमाणित फोटो प्रतियाँ विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शित करेगा। एक अनुप्रमाण्ति प्रति विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र की संबंधित मण्डी समिति को भी प्रस्तुत की जायेगी।

63-ज. विशेष अनुज्ञप्ति का नवीकरण - (1) विशेष अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पूर्व इसके नवीकरण के लिए निदेशक को विहित प्ररूप 23 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदक, अनुज्ञप्ति के नवीकरण शुल्क के रूप में निदेशालय में ऐसी रकम जमा करायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) नियम 63-क के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समस्त दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किये जायेंगे।

(4) विशेष अनुज्ञप्ति, निदेशक द्वारा नियम 63-घ में विहित प्रक्रियानुसार नवीकृत की जा सकेगी।

(5) आवेदक नियम 63-ग में यथाविनिर्दिष्ट नवीकृत प्रतिभूति निक्षेप देगा।

63-झ. विशेष अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण - (1) इन नियमों के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति निदेशक द्वारा निलम्बित या रद्द की जा सकेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी-

(क) ने अनुज्ञप्ति मिथ्याप्रतिवेदन या कपट द्वारा प्राप्त की है या उसके निमित्त कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों या शर्तों का भंग या उल्लंघन करता है; या

(ख) अन्य अनुज्ञप्तिधारी से दुर्भिसंधि करके कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसके द्वारा किसी भी उपज का विपणन रोका, निलम्बित किया या बन्द किया गया है; या

(ग) दिवालिया हो गया है; या

(घ) अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त, अधिनियम, इन नियमों या उनके अधीन बनायी गयी उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन किया है; या

(ङ) किसी भी मण्डी समिति या कृषकों के हित के विरूद्ध कार्य करता है; या

(च) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या निदेशक या मण्डी समिति द्वारा इन नियमों या उपविधियों के अधीन दोषी पाया गया है; या

(छ) ने मण्डी शुल्क या अन्य देयों का उन पर ब्याज सहित संदाय नहीं किया है; या

(ज) ने विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के कृषकों/विक्रेताओं को, उनसे क्रय की गयी कृषि उपज के लिए विहित समय के भीतर संदाय नहीं किया हैं; या

(झ) ने निदेशालय या संबंधित मण्डी समिति को देय रकम, नोटिस/डिमाण्ड नोट में उल्लिखित अवधि के भीतर जमा नहीं कराकर भुगतान में व्यतिक्रम किया है; या

(ञ) ने विहित समयकालिक विवरणियां निदेशालय या, यथास्थिति मण्डी समिति के कार्यालय में, विहित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की हैं; या

(ट) तोलने के लिए या हमालों के रूप में व्यक्तियों को अप्राधिकृत रूप से लगाया है।

परन्तु किसी विशेष अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने से पूर्व, निदेशक द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी को सुनने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। विशेष अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का आदेश निदेशक द्वारा, कारण लेखबद्ध करके पारित किया जायेगा। इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति सभी विनिर्दिष्ट मण्डियों के सचिवों को, और सम्बन्धित उप निदेशक/सहायक निदेशक को भी पालनार्थ भेजी जायेगी।

63-ञ. अपील - विशेष अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण से इन्कार करने के आदेश से या विशेष अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति या विशेष अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा, आवेदक को सुनने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पारित आदेश अंतिम होगा।

63-ट. क्रय दस्तावेज और विक्रय-वाउचर - (1) विशेष अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिए विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में प्ररूप 27 में क्रय करार प्ररूप दस्तावेज तैयार करेगा। प्ररूप-27 की एक प्रति क्रेता के द्वारा रख ली जायेगी, दूसरी प्रति विक्रेता को दी जायेगी और तीसरी प्रति मण्डी समिति के सचिव को या केन्द्र प्रभारी को अगले दिन प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विक्रय-वाउचर विक्रेता के पक्ष में जीन प्रतियों में प्ररूप-30 में क्रेता द्वारा तैयार किया जायेगा। एक प्रति संबंधित मण्डी समिति के सचिव या केन्द्र प्रभारी को अगले दिन प्रस्तुत की जायेगी।

63-ठ. परिवादों का निपटारा - यदि किसी विशेष अनुज्ञप्तिधारी और किसी विक्रेता के बीच क्रीत अधिसूचित कृषि उपज की दरों, तोल, मूल्य और/या संदाय के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विक्रेता द्वारा परिवार संबंधित मण्डी समिति के सचिव को प्रस्तुत किया जा सकेगा। जाँच के पश्चात् सचिव सात दिन की अवधि के भीतर परिवाद का निपटारा करेगा। यदि परिवाद से संबंधित कोई विक्रेता को भुगतान सही पाया जाये तो सचिव निदेशक, कृषि मण्डी को तत्काल सूचित करेगा।

63-ड. मण्डी शुल्क का संदाय - विशेष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रों में प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिए संदेय मण्डी शुल्क सम्बन्धित मण्डी समिति के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

63-ढ. प्रेषण, विक्रय और प्रसंस्करण - अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय, प्रसंस्करण या प्रेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, विक्रेता को विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का पूर्ण संदाय करने और सम्बन्धित मण्डी समिति को मण्डी शुल्क और अन्य देयों का संदाय करने के पश्चात् ही किया जायेगा। विशेष

अनुज्ञप्तिधारी को, मण्डी उपज का प्रेषण करने से पूर्व, प्रेषण के लिए मण्डी समिति द्वारा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार जारी परमिट प्राप्त करना होगा।

63-ण. विशेष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करना - (1) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार से सम्बन्धित विवरणियाँ, विशेष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित मण्डी समिति को विहित प्ररूप 28 और 29 में तथा नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अन्तरालों में प्रस्तुत की जायेगी। विशेष अनुज्ञप्तिधारी समस्त अभिलेख और सूचना, यदि निदेशक, कृषि मण्डी द्वारा मांगी जाये, प्रस्तुत करेगा।

63-त. नियमों के अन्य उपबंधों का लागू होना - नियम 63, 63-क, 63-ख, 63-ग, 63-घ, 63-ङ, 63-च, 63-छ, 63-ञ, 63-ट, 63-ठ, 63-ड, 63-ढ और 63-ण, में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अन्य सभी उपबन्ध विशेष अनुज्ञप्ति पर लागू होंगे।

भाग - 7

मण्डी में बिक्री तथा व्यापार

64. कृषि उपज की बिक्री - (1) उप-नियमों में खुदरा बेचान या उपभोग के लिये निर्धारित मात्रा को छोडकर मण्डी में लाई गई या मुख्य मण्डी में उत्पादन की हुई समस्त अधिसूचित कृषि उपज मुख्य यार्ड या उप-मण्डी यार्ड या यार्डों के माध्यम से की जायेगी और मुख्य मण्डी के भीतर किसी भी अन्य स्थान पर नहीं बेची जायेगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ तैयार की हुई (processed) कृषि उपज मण्डी में प्रोसेस की हुई समस्त अधिसूचित कृषि उपज सम्मिलित है परन्तु कोई निर्माण क्रिया से उत्पादित वस्तु (manufactured produce) सम्मिलित नहीं है।

(2) मण्डी क्षेत्र में पुन: बेची गई अधिसूचित कृषि उपज का ऐसा विवरण भी उप-नियमों के प्रावधानानुसार मण्डी समिति को दिया जायेगा।

(3) विक्रय के लिये लाई गई कृषि उपज का मूल्य खुले नीलाम से तय किया जायेगा और गुप्त संकेतों से नहीं, और सिवाय किसी प्राधिकृत व्यापारिक एलाउन्स (allowance) के उस थोक की इकरार शुदा कीमत से कोई कटौतियां नहीं की जायेगी :

परन्तु अधिसूचित कृषि उपज पहले से ही मण्डी यार्ड में लाई जा चुकी है उस पर पुन: विक्रय के लिये खुले नीलाम की प्रणाली लागू नहीं होगी।

(4) उप-नियम (2) या (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, अपराध सिद्ध होने पर धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन, जुर्माने की सजा से दण्डित होगा जो रू. 200 तक का हो सकेगा।

65. विक्रय के हिसाब रखने - मण्डी समिति एक रेकार्ड रखेगी, जिसमें बेचान के लिये लाये गये कृषि उपज के प्रत्येक कनसाइनमैंट (consignment) का नियमित तथा समुचित हिसाब रखा जायेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक से अधिक कनसाइनमैंटों के सम्मिलित इन्द्राज कनसाइनमैंट का समुचित तथा नियमित हिसाब होना नहीं समझा जाएगा।

66. नीलाम पंजिका रखना और क्रेता तथा विक्रेता के बीच संविदा (Agreement) का निष्पादन - (1) मण्डी समिति एक नीलाम पंजिका (Auction Register) प्रपत्र में रखेगी जिसमें तमाम सौदों के इन्द्राज होंगे। कोई नीलामी सौदा प्रभावित होते ही तुरन्त इस पंजीका में संबंधित इन्द्राजों के सामने खरीददार हस्ताक्षर करेगा और वह पंजिका में उल्लिखित दरों पर उपज का माल लेने के लिए बाध्य होगा :

परन्तु, नियम 64 (3) के अन्तर्गत यदि कोई बेचान खुले संविदा द्वारा हुआ हो तो कृषि उपज का प्रत्येक खरीददार विक्रेता के पक्ष में तीन परतों में इकरारनामे की पर्ची पर जो प्रपत्र VI में होगी हस्ताक्षर करेगा। पर्ची की एक प्रति खरीददार रखेगा, दूसरी विक्रेता केा दी जायेगी तथा तीसरी मण्डी समिति को भेजी जायेगी।

(2) इस नियम की कोई बात अपने निजी तथा पारिवारिक उपभोग के लिए कृषि उपज खरीदने वाले खरीददार पर लागू नहीं होगी। ऐसे खरीददारों द्वारा की गई खरीद शर्तों के अधीन रहेगी जो कि उप-नियमों (उप-विधियों) में निर्धारित की जावे।

67. मूल्यों का प्रकाशन - (1) जहां तक हो सके, मण्डी समिति मण्डी का उपभोग करने वालों को राज्य के मुख्य विपणन केन्द्रों पर मुख्य फसलों के प्रचलित भावों आदि जैसे मामलों की सूचना देगी। वह सूचना इस प्रकार से प्रकाशित की जायेगी ताकि मण्डी का उपभोग करने वाले समस्त व्यक्तियों को वह तुरन्त उपलब्ध हो सके।

(2) निदेशक के निर्देशानुसार की जानकारी देने के लिये मण्डी समिति जिम्मेदार होगी।

68. समिति के आदेशों का उल्लंघन करने पर दण्ड - (1) कोई भी व्यक्ति -

(ए) मण्डी समिति के किसी कर्मचारी या सदस्य द्वारा दिये गये निदेशन की अवहेलना करते हुए मुख्य मण्डी यार्ड या उप मण्डी यार्ड में प्रवेश नहीं करेगा,

(बी) कृषि उपज से भरी हुई गाडियों को खडी करने के स्थान या कृषि उपज के थोक खोलने के विषय में या सडक जिधर से वे आ सकते हैं या आने के समय में मण्डी समिति के निदेशकों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(2) उप नियम (1) में उल्लेखित किसी निदेशन की अवहेलना या उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, अपराध सिद्ध होने पर, प्रथम अपराध के लिए 10/- रूपये तक तथा उसके बाद किये गये किसी अपराध के लिए 50/- रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

69. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी "क" वर्ग के दलाल, व्यापारी के वर्ग के दलाल, संयुक्त, "ख" वर्ग के दलाल और फुटकर विक्रेता :-

(1) अधिनियम की धारा 4 और धारा 14 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस नियम के अधीन मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई किसी स्थायी अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय कोई भी व्यक्ति व्यापारी या ''क'' वर्ग के दलाल या व्यापारी ''क'' वर्ग के दलाल (संयुक्त) या ''ख'' वर्ग के दलाल या फुटकर विक्रेता के रूप में कृषि उपज के कारोबार नहीं करेगा।

(2) ऐसी स्थायी अनुज्ञप्ति धारण करना चाहने वाला कोई भी व्यक्ति स्थायी अनुज्ञप्ति के लिए मण्डी समिति को प्ररूप 7 में आवेदन करेगा और अधिकतम रू. 300/- (मात्र तीन सौ रूपये) के अध्यधीन रहते हुए ऐसी फीस संदत्त करेगा जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए।

''(3) (क) ऐसा आवेदन फीस को समुचित रकम के साथ प्राप्त होने पर मण्डी समिति, ऐसी जाँच, करने के पश्चात् जो मण्डी क्षेत्र के दक्ष संचालन के लिए आवश्यक समझी जायें और निम्नलिखित को अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे प्ररूप 8 में एक स्थायी अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन मंजूर कर सकेगी :-

(1) नकद प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति। (राष्ट्रीय बचत पत्र)

(2) आवेदक के आचरण पर विचार करते हुए,

(ख) खण्ड (क) के अधीन नकद प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति की रकम को निदेशक किसी आदेश द्वारा नियत करेगा।''

(4) उप नियम (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मण्डी समिति किसी ऐसे व्यक्ति को स्थायी अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं करेगी जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है और किसी ऐसे व्यक्ति को स्थायी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए इंकार कर सकेगी जिसकी मण्डी क्षेत्र में की संक्रियाओं से मण्डी समिति

के नियंत्रण के अधीन मण्डी क्षेत्र के दक्ष कार्यकरण को आगे बढाने की सम्भावना नहीं है। (विलोपित)

(5) ऐसे समस्त व्यापारियों ''क'' वर्ग के दलालों, व्यापारी ''क'' वर्ग के दलालों (संयुक्त) ''ख'' वर्ग के दलाल और फुटकर विक्रेताओं के नामों की इस प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी।

(6) जो कोई भी व्यापारी ''क'' वर्ग के दलाल, व्यापारी ''क'' वर्ग का दलाल (संयुक्त), ''ख'' वर्ग के दलाल और फुटकर विक्रेता के रूप में इस नियम के अधीन मंजूर की गई स्थायी अनुज्ञप्ति के बिना किसी मण्डी में कृषि उपज में कारोबार करता है, वह सिद्धदोष होने पर अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अनुसार दण्डित किया जाएगा।

(Legislative Changes)

अधिसूचना सं. प. 9 (24) कृषि/ग्रुप-2/94 दिनांक 15.3.1995 द्वारा नियम 69 प्रतिस्थापित किया गया तदुपरान्त अधिसूचना सं. एफ. 9 (37) कृषि/ग्रुप-2/94 दिनांक 19.11.1996 द्वारा नियम 69 की उपधारा (3) पुन: प्रतिस्थापित की गयी। प्रतिस्थापित की गई यह धारा पूर्व में इस प्रकार थी :-

''(3) फीस की उचित रकम के साथ ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर मण्डी समिति ऐसी जांच करने के पश्चात् जो मण्डी क्षेत्र के दक्ष संगठन के लिए आवश्यक मानी जाये और निम्नलिखित को अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्ररूप 8 में और उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, स्थायी अनुज्ञप्ति मंजूर करेगी :-

(i) शोधन क्षमता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने पर,

(ii) नकद प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति या अन्य व्यक्ति की प्रत्याभूति अभिप्राप्त होने पर,

(iii) आवेदक के आचरण पर विचार कर लिये जाने पर।''

70. व्यापारियों ''क'' वर्ग के दलालों, व्यापारी ''क'' वर्ग के दलाल (संयुक्त), ''ख'' वर्ग के दलालों और फुटकर विक्रेताओं को मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की मण्डी समिति की शक्ति - मण्डी समिति किसी ऐसे व्यापारी या ''क'' वर्ग के दलाल या व्यापारी ''क'' वर्ग का दलाल (संयुक्त) या ''ख'' वर्ग के दलाल या फुटकर विक्रेता को मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति को, उसके उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के अन्यून से मिलकर बने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, अधिकतम एक वर्ष तक की किसी नियत कालावधि के लिए रद्द या निलंबित कर सकेगी, यदि वह अनुज्ञप्ति की या,

नियमों की या उप-विधियों की शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है या मण्डी समिति की राय में ऋणशोधक्षम (ऋण चुकाने योग्य Solvent) नहीं हैं :

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति की रद्द करने या छः मास की कालावधि से अधिक के लिए इसको निलंबित करने का कोई भी आदेश निदेशक की पूर्व अनुज्ञा के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

71. किसी लाइसेन्स को खारिज करने या स्थगित करने से पहले की प्रक्रिया - (1) समिति का सैक्रेटरी पहले मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट समिति को प्रेषित करेगा,

(2) सैक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर समिति चार्ज शीट (आरोप-पत्र) बनायेगी,

(3) तब अध्यक्ष संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश देगा,

(4) यदि उपरोक्त एक सप्ताह के समय में अपने दुराचरण के कारण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में या आरोपित अपराध की इन्कारी की पुष्टि में साक्ष्य पेश करने में कोई विफल रहे तो यह धारणा कि पहली दृष्टि में अपराध (Prima facie case) बनता है, माननीय होना चाहिए,

(5) सैक्रेटरी की रिपोर्ट, आरोप-पत्र और अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति के स्पष्टीकरण के आधार पर लाइसेन्स खारिज करने या स्थगित करने के विषय में मण्डी समिति निर्णय लेगी और लाइसेन्स खारिज करने या स्थगित करने के कारण अभिलिखित करेगी,

(6) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष या सैक्रेटरी द्वारा लाइसेन्स स्थगित करने के मामले में अध्यक्ष, या सैक्रेटरी संबंधित पार्टी को बिना समुचित अवसर दिये आदेश जारी करेगा और अध्यक्ष या सैक्रेटरी के आदेश में ऐसी कार्यवाही करने के विशिष्ट (Specified) कारण अंकित होंगे।

72. अनुज्ञप्त तोलने वाले, हमाल, मापने वाले, सर्वेक्षक, भांडागारकर्मी [रासायनिक संघटक विश्लेषक] और ऐसे अन्य ऑपरेटर जो निदेशक द्वारा अवधारित किये जाये :- (1) अधिनियम की धारा 4 और 14 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई स्थायी अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय कोई भी व्यक्ति तोलने वाले, हमाल, मापने वाले, सर्वेक्षक, भांडागारकर्मी और ऑपरेटर के रूप में, किसी भी रीति से किसी भी मण्डी क्षेत्र में कारोबार नहीं करेगा।

(2) कोई स्थायी अनुज्ञप्ति धारण करना चाहने वाला कोई भी व्यक्ति स्थायी अनुज्ञप्ति के लिए मण्डी समिति को प्ररूप VII में आवेदन करेगा और अधिकतम रूपये

150/- (मात्र एक सौ पचास रूपये) के अध्यधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाए।

''(3) ऐसा आवेदन फीस की समुचित रकम के साथ प्राप्त होने पर मण्डी समिति, ऐसी जांचें करने के पश्चात् जो मण्डी क्षेत्र के दक्ष संचालन के लिए आवश्यक समझी जाए और निम्नलिखित को अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे प्ररूप VIII में एक स्थायी अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन मंजूर कर सकेगी :-

(1) नियम 69 के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति की सिफारिश,

(2) आवेदक के आचरण पर विचार करते हुए।''

(4) उप नियम (3) में किसी बात के अनर्विष्ट होते हुए भी समिति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये गये किसी भी व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति को जिसे मण्डी क्षेत्र के दक्ष कार्यकरण के प्रति अहितकर पाया जाए या ऐसे व्यक्ति को जिसने बिना किसी विधिमान्य कारण के मण्डी क्षेत्र में एक सप्ताह से अधिक समय तक कार्य नहीं किया है, स्थायी अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार कर सकेगी।

परन्तु जिस मामले में मण्डी समिति, आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर न तो स्थायी अनुज्ञप्ति देने से इंकार करती है नही उसे मंजूर करती है और न ही आवेदन से विनिर्दिष्ट जांच करती है उसमें आवेदक को स्थायी अनुज्ञप्ति का इंकार समझा जाएगा।

(5) मण्डी समिति किसी तोलने वाले, हमाल, मापने वाले, सर्वेक्षक, भांडागारकर्मी या मण्डी क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को यदि वह स्थायी अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या नियमों के सम्बन्धों या उप-विधियों की शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करता है या यदि मण्डी समिति की राय में स्थायी अनुज्ञप्तिधारी के रूप में उसकी निरन्तरता मण्डी क्षेत्र के कार्यों के लिए अहितकर होने की सम्भावना हो तो मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति किसी संकल्प द्वारा रद्द या निलंबित कर सकेगी :-

परन्तु स्थायी अनुज्ञप्ति को रद्द करने या छः मास से अधिक की कालावधि के लिए निलम्बित करने का कोई भी आदेश निदेशक की पूर्व अनुज्ञा के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

73. लाइसेन्स के लिए इन्कार या लाइसेन्स निरस्त या स्थगित करने की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को देना - (1) जब मण्डी समिति -

(क) नियम 69 के उप नियम (4) के अधीन या नियम 72 के उप नियम (6) के अधीन, कोई अनुज्ञप्ति देने या नवीनीकरण करने से इंकार करे ; या

(ख) नियम 70 के अधीन या नियम 72 के उपनियम (6) के अधीन, कोई लाइसेन्स खारिज (निरस्त) करे या निलम्बित करे, तो मण्डी समिति अपने निर्णय या आदेश, यथास्थिति, की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को इस प्रकार से देगी -

(i) उक्त निर्णय या आदेश, यथास्थिति, की प्रति उसे व्यक्तिगत देकर या प्रस्तुत (tender) करके अथवा

(ii) उसे रजिस्टर्ड डाक से भेज कर।

(2) ऐसा निर्णय या आदेश, यथास्थ‍ि‍ाति, सम्बन्धित को व्यक्तिगत उस दिन सूचित करना समझ लिया जायेगा जिस तारीख को उसकी प्रति उसे व्यक्तिगत दी गई या उसके सामने प्रस्तुत की गई या उपनियम (1) में अपेक्षित उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई है।

(3) [लोपित]

74. [लोपित]

75. मण्डी खर्चों (charges) का भुगतान - (i) माल उतरवाई, बोरों में भराई, छनाई और तोलने के लिये तराजू में रखने आदि के लिये देय खर्चें कृषि उपज बेचने वाला वहन करेगा और तुलाई तथा तराजू से माल उतरवाई और दलाली (कमीशन) के खर्चे कृषि उपज का खरीददार वहन करेगा।

(ii) 'ए' श्रेणी के दलाल को देय दलाली फल तथा सब्जियाँ होने की दशा में रू. 6.00 प्रतिशत सब्जियों की दशा में 3.00 प्रतिशत होगी और अन्य वस्तुओं के लिए रू. 2.00 प्रतिशत होगी और अन्य खर्चे मण्डी समितियों की उप-विधियों में निर्दिष्टानुसार देय होंगे।

(iii) यदि उपज विक्रय से पहले गोदाम में रखी जाती है तो गोदाम खर्चा या तुलाई आदि प्रकार के अन्य खर्चे कृषि उपज का विक्रेता (बेचने वाला) वहन करेगा।

परन्तु मक्का, ज्वार और बाजरा के लिए ''क'' वर्ग के दलाल को संदेय कमीशन एक प्रतिशत होगा।

परन्तु जीरा एवं ईसबगोल पर ''क'' श्रेणी के दलाल को देय दलाली एक प्रतिशत होगी।

75-क [X X X]

76. व्यापारियों, दलालों, तोलने वालों, मापने वालों, सर्वेक्षकों आदि द्वारा हिसाब रखना - प्रत्येक व्यापारी, दलाल, तोलने वाला, माप करने वाला, सर्वेक्षक तथा निदेशक द्वारा निर्धारित अन्य काम करने वाला जिसको इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया गया हो वह अपना हिसाब ऐसी बहियों में ऐसे प्रपत्रों पर रखेगा और ऐसे सामयिक (Periodical Returns) ऐसे समय पर तथा ऐसे प्रपत्रों पर प्रेषित करेगा जिसका मण्डी समिति समय-समय पर निर्देशन दे और मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित इन नियमों तथा उप-नियमों (उप-विधियों) के अधीन देय शुल्क की वसूली करने और फीस देने में जो टालमटोल करते हों उन्हें रोकने में और नियमों (उप-विधियों) के अधीन देय शुल्क की वसूली करने और फीस देने में जो टालमटोल करते हों उन्हें रोकने में और नियमों (उप-विधियों) की अवहेलना करने से रोकने में सहायता करेगा।

77. तोलने वाले, मापने वाले और सर्वेक्षक के लिये संयंत्र (Equipment) - प्रत्येक तोलने वाला, मापने वाला तथा सर्वेक्षक अपने पास ऐसे संयंत्र रखेगा जो उप-नियमों द्वारा निर्धारित किये गये हों।

78. (लोपित)

78-ए (लोपित)

79. लाइसैन्सधारी तोलने वाला या मापने वाला बिल्ला धारण करेगा - प्रत्येक लाइसैन्सधारी तोलने वाला या मापने वाला जब अपने व्यापार में संलग्न हो तो वह मण्डी समिति द्वारा दिया गया उपयुक्त नमूने का चिन्ह सूचक बिल्ला धारण करेगा। बिल्ले की कीमत जो कि एक रूपये से कम नहीं और पांच रूपये से अधिक नहीं होगी, प्रत्येक लाइसैन्सधारी तोलने वाले या मापने वाले द्वारा मण्डी समिति में जमा कराई जायेगी।

80. बिना लाइसैन्स या बिल्ले के व्यापार करने पर शास्तियाँ - कोई भी व्यक्ति जो मण्डी में (बी श्रेणी) दलाल के तोलने वाले या मापने वाले या सर्वेक्षक के रूप में बिना लाइसैन्स काम करेगा या कोई तोलने वाला या मापने वाला बिना प्राधिकृत बिल्ला धारण किये धंधा करेगा तो उपराध सिद्व होने पर उसे जुर्माने की सजा दी जायेगी जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगी।

81. दलाल आदि अपनी सेवाओं के लिए निर्धारित फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेंगे - कोई भी लाइसैन्सधारी दलाल या उसका कर्मचारी (रासायनिक संघटक विश्लेषण) तोलने वाला, मापने वाला तथा सर्वेक्षक अपनी सेवाओं के लिये उप-नियमों में निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क न मांगेगे न प्राप्त करेंगे। इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने से उनका लाइसैन्स तुरन्त खारिज किया जा सकेगा या उसके विकल्प में, अपराध सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्तियों को जुर्माने की सजा दी जायेगी जो दो सौ रूपये तक की हो सकेगी।

82. व्यापारी या उसका कर्मचारी दलाली या तोलने, मापने या सर्वे करने का कोई चार्ज या शुल्क नहीं मांगेगा - यदि कोई व्यापारी या उसका कर्मचारी या एजेन्ट, दलाली या तोलने, माप करने या सर्वे करने की कोई फीस मांगेगा या प्राप्त करेगा तो उसका लाइसैन्स तुरन्त जब्त किया जा सकेगा।

83. तुलाई या मापने का कार्य लाइसैन्सधारी तोलने वाला या मापने वाला करेगा - कृषि उपज के किसी क्रय या विक्रय के मामले में तमाम तोलने या मापने का कार्य लाइसैन्सधारी तोलने वाले या मापने वाले करेंगे।

84. (लोपित)

85. लाइसैन्सधारी व्यापारी 'ए' श्रेणी दलाल तोलने तथा मापने के संयंत्र देगा - (1) लाइसैन्सधारी व्यापारी 'ए' श्रेणी दलाल बेची गई कृषि उपज का माल लेते समय वे तमाम प्राधिकृत तोलने के संयंत्र या उनकी व्यवस्था करेगा जो कि उप-नियमों (उप-विधियों) द्वारा निर्धारित हो।

(2) कोई भी लाइसैन्सधारी व्यक्ति या 'ए' श्रेणी दलाल प्राधिकृत तोलने या मापने वाले संयंत्रों के अतिरिक्त कोई अन्य बाट तथा माप या तोलने या मापने का संयंत्र उपयोग में नहीं लायेगा।

(3) कोई भी लाइसैन्सधारी व्यापारी या 'ए' श्रेणी दलाल जो इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे लाइसैन्स की शर्तों का उल्लंघन करना समझा जायेगा।

86. मण्डी में उपयोग किये जाने वाले तोल व माप - सिवाय प्राधिकृत तोल, माप या तोलने व मापने के संयंत्रों के और कोई बाट, माप या तोलने या मापने का संयंत्र मण्डी में उपयोग नहीं लाया जायेगा।

87. मण्डी समिति में उपयोगिता प्रचलित भाव की इकाई (Unit of Price Quotation) - प्रत्येक मण्डी में प्रचलित भाव की इकाई (unit of price quotation) प्राधिकृत तोल या मापों के अर्थ से वही होगी जो निदेशक द्वारा या उसके द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

88. कांटे, बाट या मापों का निरीक्षण - मण्डी समिति के अध्यक्ष, सैक्रेटरी तथा प्रत्येक सदस्य और इस प्रयोजन के लिए मण्डी समिति द्वारा प्राधिकृत मण्डी समिति कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह बिना सूचना दिए मण्डी की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति के कब्जे में पडे बाटों या मापों का और तोलने या मापने के कार्य में आने वाले संयंत्रों (या मशीनों या प्रयोगशालाओं) का निरीक्षण करे, जांच करे तथा उनका मिलान करे।

89. मण्डी समिति प्रामाणिक बाट तथा माप और तोलने तथा मापने के संयंत्रों का एक सेट रखेगी - मण्डी समिति कम से कम एक सैट ऐसे बाटों तथा मापों का और तोलने तथा मापने के संयंत्रों को रखेगी जो राजस्थान तोल एवं माप अधिनियम के अधीन क्रमश: प्रामाणिक बाट माप और तोलने तथा मापने के संयंत्र हों और जो मण्डी क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हों। ये प्रामाणिक बाट, माप और तोलने तथा मापने के संबंध में जनता को निरीक्षण तथा जांच पडताल के लिए हर उचित समय पर उपलब्ध रहेंगे।

90. तुलाई में प्रति सन्तुलन करना - यदि कोई रस्सा या बोरी बंडलों को बांधने के लिए कोई अन्य वस्तुएं कांटे के माल रखने के चेले में रखे गये हों तो उक्त रस्से, बोरी या इस प्रकार से काम में ली गई वस्तु के बराबर का वजन कांटे तोलों (बाट) की तरफ के चेले में उपयोगिता रस्से के या बोरी के या बंडल बांधने की अन्य वस्तु के भार का प्रति-सन्तुलन (धडा) करने के लिए और रखे जाएंगे।

91. लदी हुई गाडी तोलने के संयंत्र (Weighment bridge) पर तुलाई - जब कि मण्डी समिति के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध हो, और यदि सरकार अपेक्षा करे, तो मण्डी समिति में एक या अधिक लदी हुई गाडी तोलने के संयंत्र क्रमश: स्थापित करेगी और उसे सही चालू हालत में रखने के लिये जिम्मेवार होगी। कोई भी खरीददार या बेचने वाला, चाहे तो, उप-नियमों के अधीन निश्चित शुल्क अदा करने पर अपनी उपज उक्त कांटे पर तुलवा सकेगा।

92. तोलने व मापने का तरीका एवं स्थान - मण्डी यार्ड में लाई गई और बेची गई कृषि उपज की तुलाई या माप ऐसे तरीके से व ऐसे स्थान या स्थानों पर की

जायेगी/किया जायेगा जैसा कि इस प्रयोजन के लिए मण्डी समिति द्वारा उप-नियमों में प्रावधान किया गया हो।

93. बांटों और मापों का तथा तोलने और मापने के संयंत्रों का निरीक्षण - (1) रास्थान तोल एवं माप अधिनियम के अधीन नियुक्त जिस निरीक्षक (जिसे आगे हम तोल एवं माप निरीक्षक कहेंगे) के क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानानुसार मण्डी स्थित हो, वह मण्डी के उपयोग किए जाने वाले समस्त बांटों तथा मापों का और तोलने तथा मापने की संयंत्रों की तस्दीक करेगा और उन पर मुहर लगाएगा।

(2) प्रत्येक लाइसैन्सधारी व्यापारी 'ए' श्रेणी दलाल, तोलने वाला या मापने वाला मण्डी समिति के अध्यक्ष या सैक्रेटरी द्वारा मांगे जाने पर उसके या उसके अधिकारों में या नियन्त्रण में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा काम में लाए जाने वाले या रखे गये या उसके कब्जे में पडे हुए समस्त तथा प्रत्येक कांटा, बाट और माप तत्काल प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष या सैक्रेटरी को उनका निरीक्षण करने, जांच करने तथा मिलान करने की अनुमति देगा।

(3) मण्डी समिति के अध्यक्ष या सैक्रेट्री द्वारा मांग करने पर, तोल एवं माप निरीक्षक, जिसके क्षेत्राधिकार में मण्डी स्थित है, मण्डी में काम लिए जाने वाले बांटों, मापों और तोलने या मापने के संयंत्रों का निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा जो राजस्थान तोल एवं माप अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुकूल हो।

94. अनाधिकृत बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के संयंत्रों के विषय में रिपोर्ट - तोल एवं माप निरीक्षक की अनुपस्थिति में, जांच किए जाने पर किन्हीं बाटों, मापों या तोलने अथवा मापने के संयंत्रों के अनाधिकृत होने का उचित संदेह हो, तो मण्डी समिति का अध्यक्ष तोल एवं माप निरीक्षक को लिखित में रिपोर्ट तुरन्त भेजेगा, तो तदुपरान्त राजस्थान तोल एवं माप अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानानुसार अग्रसर होगा।

95. बाट या माप तोलने अथवा मापने के संयंत्रों की जांच के लिए प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा का उल्लंघन करने पर शास्ति - जो कोई नियम 93 के प्रावधानों के अधीन कोई बाट या माप एवं तोलने या मापने के संयंत्रों के जाँच की अनुमति देने के लिए बाध्य हो और किसी बाट या माप या तोलने या मापने के संयंत्रों का परीक्षण, निरीक्षण या मिलान करने की अनुमति नहीं दे, तो अपराध सिद्ध होने पर जुर्माने की सजा से दण्डनीय होगा जो दो सौ रूपये तक हो सकेगा।

96. कृषि उपज का भण्डारीकरण - मण्डी क्षेत्र में लाई गई समस्त कृषि उपज ऐसे स्थान पर संग्रह की जायेगी जैसा कि उप-नियमों में निर्धारित हो। जब तक ऐसी व्यवस्था न हो तब तक मण्डी में लाई गई कृषि उपज जो बिक्री नहीं हो, लाइसैन्सधारी दलाल द्वारा उसके स्वामित्व के या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किराये पर किये गये अहातों गोदामों तथा भण्डारों में रखी जाएगी। इस प्रकार से रखा गया माल, स्टोर करने के लिए सुपुर्द करते समय विक्रेता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में तोला जायेगा और लाइसैन्सधारी दलाल विक्रेता को रसीद देगा। जिसमें माल की किस्म तथा तोल अंकित किया जाएगा। कृषि उपज का इस प्रकार से स्टोर किया जाना ऐसे भण्डारीकरण शुल्क तथा ऐसी शर्तों के अधीनस्थ हो जो उप-नियमों में निर्धारित की जावे।

97. कृषकों को अग्रिम धन देने का नियमन - लाइसैन्सधारी दलाल कृषकों को नकद के रूप में या जिन्स के रूप में अग्रिम धन (Advance) दे सकेगा, परन्तु यह अग्रिम देना निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा :

(1) यदि ऋणदाता और उधार लेने वाले के बीच कोई इकरार हुआ हो तो ऋणदाता उधार लेने वाले को उस इकरार की एक प्रति देगा।

(2) जब अग्रिम धन समय-समय पर दिया जावे, तो उप-नियमों में निर्धारित तरीके से अग्रिम धन देने व वापसी भुगतान का हिसाब एक हिसाब बही में रखा जाएगा। ऋणदाता उक्त हिसाब बही की एक प्रति उधार लेने वाले को देगा इस प्रकार से दी गई हिसाब बही में ऋण देने व वसूली करने का प्रत्येक इन्द्राज दर्ज करेगा और अपने हस्ताक्षर से उसकी तसदीक करेगा।

98. कृषि उपज में मिलावट पर रोकथाम - मण्डी समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि मण्डी में कृषि उपज में मिलावट करने की रोकथाम के लिए हर सम्भव यत्न करे और मण्डी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति मण्डी में कृषि उपज में मिलावट नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ कृषि उपज में मिलावट करने में कपास की आखिरी तोड मिला देना या कृषि उपज की बढिया किस्म में घटिया कृषि उपज मिलाना, बढी अलसी में छोटे दानों की अलसी मिलाना, घी में वनस्पति घी मिलाना, तथा कृषि उपज में मिट्टी, कचरा तथा कंकर या अन्य कोई बाहरी वस्तु मिलाना, सम्मिलित है।

99. कृषि उपज को श्रेणीबद्ध करना तथा प्रामाणिक स्तर का बनाना - (1) विक्रेताओं और क्रेताओं के उपयोग के लिए मण्डी समिति, मण्डी में बेची गई कृषि उपज को प्रामाणिक श्रेणियों के नमूनों का एक सैट रखेगी और समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसको ताजा करती रहेगी। कृषि समिति कृषि उपज की विभिन्न श्रेणियों के नमूने रखने और उन्हें प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था करेगी और क्रेताओं तथा विक्रेताओं की जानकारी के लिए अन्तिम तथा मुख्य मण्डियों में प्रचलित भावों के आधार पर सामान भाव का संकेत भी देगी।

(2) मण्डी समिति -

(i) कृषि उपज को श्रेणीबद्ध करने का कार्य कर सकेगी, अथवा

(ii) मण्डी में शुद्ध किस्मों में लाये गये बिनौले के कपास निकालना तथा गांठ बांधने का कार्य कर सकेगी या उस पर निगरानी रख सकेगी।

(3) (i) कृषि उपज को श्रेणीबद्ध करने का कार्य करने के लिए वसूल की जाने वाली फीस उप-नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होगी।

(ii) शुद्ध किस्मों के बिनौले से कपास निकालने एवं गांठें बंधवाने या उस पर निगरानी रखने के कार्य के लिए वसूल की जाने वाली फीस उप-नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होगी।

100. मूल्य सूची रखना - मण्डी समिति, उन विभिन्न प्रकार तथा श्रेणियों की कृषि उपज के विषय में जिनके लिए मण्डी की स्थापना हुई है, दैनिक भावों की सूचियां रखेगी।

101. मण्डी समिति की बैठक बुलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी - मण्डी समिति के सदस्यों की संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा मांग पर या निदेशक अथवा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति स्वत: यदि वह मामले की अत्यावश्यकता के विषय में सन्तुष्ट हो तो मण्डी संचालन के लिए तत्कालिक महत्व रखने वाले मामलों पर विचार करने हेतु मण्डी समिति की बैठक बुला सकेगा।

101-ए. मण्डी समितियों का निरीक्षण करने का अधिकार - निदेशक या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी -

(ए) मण्डी समिति के हिसाब तथा कार्यालय का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा।

(बी) मण्डी समिति के कार्यकलापों की जांच कर सकेगा।

(सी) मण्डी समिति से सामयिक नक्शें, विवरण पत्र, हिसाब या रिपोर्ट, जो भी वह उपयुक्त समझे, मंगवा सकेगा।

(डी) निम्नलिखितों पर ध्यान देने के लिए मण्डी समिति से अपेक्षा कर सकेगा-

(i) मण्डी समिति द्वारा या उसकी ओर से किये जा रहे या किए जाने वाले किसी कार्य पर आपत्ति जो उसे मौजूद विद्यमान प्रतीत हो रही है, अथवा

(ii) कोई जानकारी जो वह दे सके और जिससे मण्डी समिति द्वारा कोई काम करने की आवश्यकता हो गई हो, और ऐसा काम करने या न करने का कारण बताते हुए उचित समय के भीतर लिखित में उत्तर देना।

(इ) निदेशन दे सकेगा कि कोई भी काम जो किया जाने वाला है या जो किया जा रहा है उत्तर के विचाराधीन रहते नहीं किया जावे और काम जो किया जाना चाहिये परन्तु नहीं किया जा रहा है उसे निर्देशन में दिये गये समय के भीतर किया जावे।

102. जब ये नियम प्रथम बार लागू हों उस समय के लिये विशेष प्रावधान - सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी स्थापित होने के प्रथम वर्ष के दौरान, इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों को, ऐसी अवधि तक तथा उस सीमा तक जो वह उचित समझे, क्रियान्वित करना स्थापित कर सकेगी।

103. राज्य सरकार, निदेशक अथवा बोर्ड को शक्तियां समर्पित करने का अधिकार - (1) राज्य सरकार या, लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों के अधीन उसको प्रदत्त कोई भी शक्तियाँ, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों या प्रतिबन्धों के साथ जो वह लगाना चाहे, समर्पित (delegate) कर सकेंगे।

(2) बोर्ड, प्रस्ताव करके, इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों के अधीन उसको प्रदत्त कोई भी शक्तियां, बोर्ड के अध्यक्ष या सैक्रेटरी को, ऐसी शर्तों या प्रतिबन्धों के साथ जो वह लगाना चाहे, समर्पित कर सकेगा।

प्रपत्र - 1

[देखिये नियम 11 (1)]

मनोनयन पत्र

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम
2. उम्मीदवार का पूरा नाम
3. मतदाताओं की सूची में उम्मीदवार का क्रमांक
4. पिता या पति का नाम
5. आयु
6. लिंग (Sex)
7. जाति
8. व्यवसाय तथा पता
9. प्रस्तावक का पूरा नाम
10. मतदाताओं की सूची में प्रस्तावक का क्रमांक
11. प्रस्तावक के हस्ताक्षर
12. अनुमोदक का पूरा नाम
13. मतदाताओं की सूची में अनुमोदक का क्रमांक
14. अनुमोदक के हस्ताक्षर

उम्मीदवार की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं चुनाव में खडे होने का इच्छुक हूँ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

कलक्टर या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुतीकरण का प्रमाण-पत्र

क्रमांक ....

यह मनोनयन पत्र मेरे समक्ष .... (व्यक्ति) ने .... (दिनांक तथा समय) प्रस्तुत किया।

निर्देशन जो मनोनयन पत्र कलक्टर या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष दिनांक .... को .... बजे से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, वह नहीं लिया जायेगा।

प्रपत्र - 2

(देखिये नियम सं. 14)

निर्वाचन क्षेत्र के लिये दिनांक .... को प्राप्त मनोनयन की सूची

1. क्रमांक
2. उम्मीदवार का नाम
3. पिता या पति का नाम
4. लिंग (Sex)
5. जाति
6. व्यवसाय तथा पता
7. प्रस्तावक का नाम
8. अनुमोदक का नाम

नोट - मनोनयन पत्र की जांच दिनांक .... को .... बजे .... (स्थान) पर की जायेगी।

कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रपत्र सं. 3

[देखिये नियम 17 (2)]

वैध मनोनयनों की सूची

1. क्रमांक
2. उम्मीदवार का नाम
3. लिंग (Sex)
4. जाति
5. पता

पहले से अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर मतदान .... बजे से .... बजे तक होगा।

कलेक्टर के या उसके द्वारा
प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रपत्र सं. 4

प्रतिरूप काउन्टर फाइल मत पत्र सं.	क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	फाइनल मत-पत्र की संख्या	मतदान का निशान
	1.		उम्मीदवार का चिन्ह	
	2.			
	3.			

मतदान सूची में मतदाता का क्रमांक

मतदाता के हस्ताक्षर या निशान

अपना वोट अंकित करने से पहले कृपया इसे सावधानी से पढें।

1. आपके .... वोट हैं।
2. प्रत्येक वोट को कोटे (X) के निशान से दर्शाना है।
3. कुल मिलाकर .... काटे से अधिक निशान नहीं लगावें।

[XXX]

प्रपत्र सं. 5

[देखिये नियम 58 (4)]

घोषणा तथा प्रमाण पत्र का प्रपत्र

खरीददार या उसके एजेन्ट का नाम	अनुज्ञापत्र की संख्या	कृषि उपज की किस्म	गाडी या पैकेज	कहां लाये गये	बेचने वाले का नाम	किसके मार्फत खरीदा
1	2	3	4	5	6	7

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर बताई गई कृषि उपज राज्य के बाहर से खरीदी गई है और औघौगिक प्रयोजन के लिए/राज्य के बाहर .... को निर्यात के लिए मण्डी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लाई गई है।

दिनांक **हस्ताक्षर**

प्रपत्र सं. 6

(देखिये नियम 66 (1))

इकरारनामे का पत्र

1. विक्रेता का नाम और उसका गांव
2. जनरल कमीशन एजेन्ट का नाम, यदि कोई हो
3. खरीददार या उसके एजेन्ट का नाम
4. गाडियों, पैकेजों और लोड की संख्या
5. उपज की किस्म, क्वालिटी
6. भाव
7. माल पहुंचाने का स्थान

दिनांक	मण्डी शुल्क रू. पैसे	टिकट संख्या

मण्डी समिति के कर्मचारी के हस्ताक्षर

मैं एतदद्‌वारा इकरार करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित माल उतारने (unload) पर यदि मैं ऊपर लिखी दर से ग्रहण करने से इन्कार कर दूँ तो मामला राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 41 में समविष्ट प्रावधानानुसार, पंच फैसले (arbitration) के लिये भेजा जायेगा। कथित नियम के अधीन इसमें पंच फैसले का निर्णय मानने के लिए मैं अपने आपको अनुबन्धित करता हूँ।

खरीददार या उसके एजेन्ट के हस्ताक्षर

प्रपत्र सं. 7

स्थायी अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन

(राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 69 तथा 72 देखिये।)

प्रेषिती,

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

महोदय,

मैं/हम .... निवासी .... तहसील .... जिला .... मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिए .... के लिए स्थायी अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं और निम्नलिखित विशिष्टियां देता हूँ/देती हैं :-

1. स्थाई पता

2. कारोबार का स्थान

3. (क) दो से अधिक उन मेरे/हमारे प्रतिनिधियों/सहायकों के नाम और पते, जो मण्डी में मेरी/हमारी और से कार्य करेंगे -

(1)

(2)

(ख) मेरी/हमारी फर्म के भागीदारों के नाम, पतों सहित -

(1)

(2)

(3)

(4)

मैं/हम मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिए .... रूपये की अनुज्ञप्ति फीस इसके साथ प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

अत: कृपया, मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुझे/हमें स्थायी अनुज्ञप्ति मंजूर और जारी की जाए।

मैं/हम इसके द्वारा स्थायी अनुज्ञप्ति के निबंधनों की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक **आवेदक के हस्ताक्षर**

(टिप्पणी - फर्म के मामले में प्रबन्धक भागीदार/स्वामी को आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने चाहिए।)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

.... रूपये .... (प्रवर्ग) .... की स्थायी अनुज्ञप्ति फीस के मद्दे रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त किये।

रोकडिये के हस्ताक्षर

प्रपत्र सं. 8

स्थायी अनुज्ञप्ति

(राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 69/72 अधीन मंजूर)

स्थायी अनुज्ञप्ति संख्या .... दिनांक ....

मैसर्स .... (नाम) .... (पता) जो राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 69/72 के अधीन इसके नीचे उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर कृषि उपज का व्यापार करने के लिए व्यापारी/क वर्ग दलाल/ख वर्ग दलाल (संयुक्त) व्यापारी, क वर्ग दलाल/तोलने वाले/मापने वाले/सर्वेक्षक/भांडागार कर्मी/फुटकर विक्रेता/और अन्य आपरेटर के रूप में मण्डी क्षेत्र .... में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह स्थायी अनुज्ञप्ति अन्तरणीय है।

अनुज्ञप्तिधारी की ओर से निम्नलिखित सहायक/प्रतिनिधि कार्य करेंगे:-

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पता
1.			
2.			

कृषि उपज मण्डी की मुहर

सचिव/अध्यक्ष

स्थायी अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारी राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 और नियमों और उसके अधीन विरचित उप-विधियों के उपबन्धों और समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन करेगा। वह अध्यक्ष या अनुज्ञापन

प्राधिकारी द्‌वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्‌वारा या अध्यक्ष या उसके द्‌वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्‌वारा मांग करने पर, इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को दी जाने वाली रसीद के बदले में, स्थायी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी किसी कृषि उपज में अपमिश्रण नहीं करेगा या करवायेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी अपने सहायकों या अभिकर्ताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह व्यापारी या ''क'' वर्ग दलाल है तो विक्रय पर्चियां जारी करेगा, खरीदी गयी या बेची गई कृषि उपज का अभिलेख रखेगा और उप-विधियों में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रत्येक मास स्टॉक, आवक और जावक का विवरण मण्डी समिति को देगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी यदि वह व्यापारी या ''क'' वर्ग दलाल है तो वह यदि उपज की खरीद या विक्रय उसकी एजेन्सी या उसके द्‌वारा की गई हो कृषि उपज की कीमत विक्रेता को उसी दिन संदत्त करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी अपनी फर्म की भागीदारी में किसी परिवर्तन के होने पर परिवर्तन के एक सप्ताह के भीतर-भीतर मण्डी समिति को सूचित करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्थायी अनुज्ञप्ति को अपने कारोबार परिसर में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी यदि वह ''ख'' वर्ग दलाल, तोलने वाला, सर्वेक्षक या मापने वाला या अन्य कोई ऑपरेटर है तो किसी व्यापारी या ''क'' वर्ग दलाल का सेवक नहीं होगा और विक्रेताओं और क्रेताओं के अधिकाधिक हित में निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा।

(9) यदि कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात् नियमों/बाध्यताओं का उल्लंघन/अपालन होता है तो मण्डी समिति द्‌वारा अनुज्ञप्ति का निलम्बन/रद्दकरण किया जा सकता है।

प्रपत्र सं. 9

रजिस्टर नीलाम

दिनांक	कच्चे आढतिया का नाम	बेचने वालों के नाम तथा पता	उपज का विवरण	अंदाजन मात्रा	दर जिस पर उपज बेची गई	खरीददार का नाम	कच्चे आढतिये तथा खरीददार के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र सं. 10

अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का प्रपत्र

(देखिये नियम 35 (बी) (1))

श्री जिलाधीश,

प्रिय महोदय,

हम मण्डी समिति .... के निम्नलिखित सदस्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरूद्ध निम्नलिखित कारणों से अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं:-

....

....

....

हम घोषणा करते हैं कि ऊपर लिखे तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं।

सदस्य के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

3. ....

राजपत्रित अधिकारी

सदस्य विधान सभा या

संसद सदस्य की तस्दीक

प्रपत्र सं. 11

(नियम 58 (1))

घोषणा पत्र का प्रपत्र

मैं .... पुत्र श्री .... मालिक/भागीदार/अधिकृत एजेन्ट फार मैसर्स .... व्यापारी/''क'' वर्ग दलाल, यह घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित विज्ञप्त उपज मेरे/हमारे द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... के मण्डी क्षेत्र से क्रय की गई है तथा इस विज्ञप्त कृषि उपज पर मण्डी शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

यह भी घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

विज्ञप्त कृषि उपज का नाम	परिवहन का ढंग तथा बोरी/पैकेज की संख्या	वजन	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम व मण्डी क्षेत्र जहां से क्रय किया गया
1	2	3	4

बिल संख्या व दिनांक	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम जहां मण्डी शुल्क का भुगतान किया गया है	व्यापारी/''क'' वर्ग दलाल का नाम जिसके द्वारा मण्डी शुल्क का भुगतान किया गया है	भुगतान की गयी मण्डी शुल्क की राशि
5	6	7	8

रसीद नम्बर व संख्या	विक्रेता का नाम तथा पता	क्रेता का नाम तथा पता	अन्य विवरण
9	10	11	12

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

व्यापारी/''क'' वर्ग दलाल का

नाम तथा पता ....